

## संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901

{सं० प्रा० अधिनियम संख्या 3 सन् 1901}

उत्तर प्रदेश भू-राजस्व एवं राजस्व अधिकारियों के क्षेत्राधिकार को उपांतरित एवं संशोधित करने के लिए

### अधिनियम

चूंकि, उत्तर प्रदेश में भू-राजस्व सम्बन्धी विधि एवं राजस्व अधिकारियों के क्षेत्राधिकार को समेकित एवं संशोधित करना समीचीन है, इसलिए एतद्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

#### अध्याय 1 प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 कहलायेगा।

शीर्ष नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ

(2) यह, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता है :

परन्तु राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के समस्त या किसी भाग को, इस प्रकार वर्जित सभी या किसी क्षेत्र में, ऐसे उपांतरों या अपवादों के साथ जो वह ठीक समझे, लागू कर सकती है:

परन्तु यह भी कि इस अधिनियम का कोई भी उपबंध जो कसवार राजा अधिनियम, 1915 के उपबंधों से असंगत है, बनारस जिले के परगना कसवार राजा पर लागू नहीं होंगे; और

(3) यह 1902 ई० के पहली जनवरी से लागू होगा।

2—(1) द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम, उसके तीसरे स्तम्भ में वर्णित सीमा तक निरसित किये जाते हैं।

निरसन

(2) जब यह अधिनियम या इसका कोई भाग अपवाद या परिवर्तन के साथ या बिना, प्रथम अनुसूची में अपवादित किसी क्षेत्र में लागू किया जाता है, तो उसमें लागू किसी अधिनियम या विनियम का उतना भाग जितना कि इस अधिनियम या इसके लागू किये गये भाग, जैसी भी स्थिति हो, से असंगत है, तदनुसार निरसित कर दिया जायेगा।

(3) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियम का निरसन, किसी व्यवहार को, जो ऐसे अधिनियम के लागू होने के ठीक पहले अवैध था, वैध नहीं करेगा, और न ही इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पहले प्रभावी न रहने वाले किसी अधिकार, विशेषाधिकार, विषय या वस्तु को पुनः जीवित करेगा।

3—(1) एतद्वारा निरसित किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत सभी बनाये गये नियम, नियुक्तियां, निर्धारण, विभाजन एवं अंतरण, जारी की गयी विज्ञप्तियां, उद्घोषणायें एवं आदेश, प्रदत्त प्राधिकार एवं शक्तियां, स्वीकृत-प्रपत्र, तैयार किये गये अधिकार अभिलेख एवं अन्य अभिलेख, अर्जित किये गये अधिकार तथा उपगत किये गये दायित्व, नियत किये गये लगान, नियुक्त किये गये स्थान एवं समय तथा की गयी अन्य चीजें, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये, जारी, प्रदत्त, स्वीकृत, तैयार, अर्जित, उपगत, नियत, नियुक्त एवं किये गये माने जायेंगे।

व्यावृत्ति

(2) एतद्वारा निरसित किसी अधिनियम का उल्लेख करने वाला कोई विधायन या दस्तावेज, इस अधिनियम या इसके तत्समान भाग का उल्लेख करने वाला समझा जायेगा।

1. दिनांक 21 दिसम्बर, 1901 को भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 की धारा 40 के अन्तर्गत प्रकाशित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 4}

4— विषय या सन्दर्भ में जब कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

परिभाषाएं

(1) 'परिषद्' का तात्पर्य राजस्व परिषद् से है;

(1-क) हतस्वामित्व कृषक, अनुकूल लगान दर पर अनुदान, बाग, बागदार, बाग भूमि, मौरूसी कृषक, सुधार, खुदकाशत, भू-धारक, दखलकार कृषक, लगान, लगान मुक्त अनुदान, सीर एवं कृषक के, निम्नलिखित उपांतरो के अधीन, वही अर्थ होंगे, जो यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 में दिये गये हैं —

(क) यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 3 की उपधारा (8) में दी गयी 'सुधार' की परिभाषा में पद 'काशतकार की जोत के प्रति निर्देश से' लुप्त समझा जायेगा;

(ख) यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 3 की उपधारा (18) में दी गयी 'लगान' की परिभाषा में पद 'एवं अध्याय 7 में, जब प्रतिकूल आशय प्रकट हो तो छोड़कर, सायर को भी सम्मिलित करता है' को लुप्त समझा जायेगा; और

(ग) यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 3 की उपधारा (28) में परिभाषित पद 'काशतकार' में शब्द 'ठेकेदार' सम्मिलित नहीं होगा;

(2) 'भार' का तात्पर्य भूमि पर या उसके विरुद्ध निजी संविदा से उत्पन्न प्रभार या दावा से है;

(3) 'लंबरदार' का तात्पर्य किसी महाल के ऐसे सह-भागीदार से है, जो इस अधिनियम के अधीन उस महाल के सह-भागीदारों में सभी या किसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है;

(4) 'महाल' का तात्पर्य—

(क) भू राजस्व की अदायगी के लिए किसी पृथक् व्यवस्था के अंतर्गत धारण किये गये किसी स्थानीय क्षेत्र :

प्रतिबंध यह है कि —

(एक) यदि ऐसा क्षेत्र एक गांव या गांव के किसी भाग से बना हो, तो ऐसे गांव या गांव के भाग के लिए पृथक् अधिकार अभिलेख तैयार किया गया हो,

(दो) यदि ऐसा क्षेत्र दो या दो से अधिक गांव या गांवों के भाग से बना हो, तो उसमें सम्मिलित संपूर्ण क्षेत्र या प्रत्येक गांव या गांवों के भाग के लिए, पृथक् अधिकार अभिलेख तैयार किया गया हो,

(ख) कोई राजस्व मुक्त क्षेत्र, जिसके लिए का पृथक् अधिकार-अभिलेख तैयार किया गया है,

(ग) राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित प्रयोजनों के लिए, बंजर भूमि नियमावली के अधीन एतत्पूर्व या एतत्पश्चात किया गया भूमि का कोई अनुदान, और

(घ) किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा महाल घोषित करे, से है;

(5) 'अवयस्क' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अंतर्गत वयस्कता प्राप्त नहीं किया है;

(6) {\*\*\*}<sup>1</sup>

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 5-6}

(7) 'राजस्व' का तात्पर्य भू-राजस्व से है;

(8) 'राजस्व न्यायालय' का तात्पर्य निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्राधिकारियों अर्थात् परिषद् एवं उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी तथा तहसीलदार से है;

(9) 'राजस्व अधिकारी' का तात्पर्य, राजस्व अभिलेखों की सुव्यवस्था या भू-राजस्व के कार्य संपादन के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन नियोजित किन्हीं अधिकारी से है;

(10) 'राजस्व-मुक्त' का तात्पर्य, जब भूमि के संबंध में लागू हो, उस भूमि से है, जिसका राजस्व पूर्णतः या भगतः निर्मोचित, सुलह, मोचित या अर्पित कर दिया गया है;

(11) 'बंदोबस्त' का तात्पर्य भू-राजस्व के बंदोबस्त से है;

(12) {\*\*\*}<sup>1</sup>

(13) 'सायर' का तात्पर्य, पत्थरों तथा अन्य खनिजों को छोड़कर, नैसर्गिक उत्पादों से, या के कारण उत्पन्न प्राप्तियों से है;

(14) 'तालुका' या 'तालुकदारी महाल' का तात्पर्य अवध में ऐसे आस्थान से है, जिस पर अवध इस्टेट्स अधिनियम संख्या 1 सन् 1869 के उपबंध लागू होते हैं; और

'तालुकदार' का तात्पर्य ऐसे आस्थान के स्वामी से है;

(15) 'अवर स्वामी' का तात्पर्य अवध में भूमि में वंश परंपरागत रूप में प्राप्त होने योग्य एवं अंतरणीय अधिकार रखने वाले या न्यायिक निर्णय या संविदा के सिवाय, उसके लिए लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है;

(16) 'उप स्वामी' का तात्पर्य आगरा में, भूमि में अवर लेकिन वंश परंपरा से प्राप्त होने योग्य एवं अंतरणीय स्वामिक हित रखने वाले उस व्यक्ति से है, जिसके साथ इस अधिनियम या तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उप-बंदोबस्त कर दिया गया है;

(17) 'किसी अधिनियम के प्रति किसी निर्देश' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले उस अधिनियम के समय-समय पर संशोधित रूप के प्रति निर्देश से लगाया जायेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के मामले में उसकी प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों में उसकी धारा 122 के अंतर्गत समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा किये गये रद्दकरणों, परिवर्तनों एवं परिवर्धनों के अधीन उस संहिता के प्रति निर्देश से लगाया जायेगा।

## अध्याय 2

### नियुक्ति एवं क्षेत्राधिकार

{5— राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए परिषद् वादों, {अपीलों}<sup>3</sup> तथा पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बद्ध विषयों को छोड़कर, अधिनियम के अधीन उपबंधित अन्य विषयों के सम्बन्ध में मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी होगा।}<sup>2</sup>

राज्य सरकार तथा परिषद् की नियंत्रण सम्बन्धी अलग-अलग अधिकार

6— राज्य सरकार परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 1941 की धारा 7 द्वारा निरसित।  
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।  
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 वर्ष 1997 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 7-12}

7—(1) इस अधिनियम तथा धारा 8 के अधीन बने किन्ही नियमों के उपबंधों के अधीन परिषद् अपने कारोबार का बंटवारा करेगी तथा अपने सदस्यों के मध्य अधिकारिता का इस प्रकार क्षेत्रीय विभाजन करेगी जैसा कि परिषद् उचित समझे।

कार्य बॉटने की शक्ति

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद्, विशेषकर एवं उपरोक्त के अधीन, अपने एकल सदस्यों या खण्ड न्यायपीठ के न्यायिक कार्यों के निस्तारण को विनियमित करेगी।

8— {(1) जहाँ कोई ऐसी कार्यवाही, जो {अपील}<sup>2</sup> या पुनरीक्षण से परिषद् द्वारा विचार किए जाने के लिए आए, दो या अधिक सदस्यों से संगठित किसी डिवीजन बेंच द्वारा सुनी जाय तो वह वाद ऐसे सदस्यों की राय अथवा उनमें से अधिकांश की राय, यदि कोई हो, के अनुसार निर्णीत किया जायेगा।}

डिवीजन बेंच द्वारा वाद के विचारण पर निर्णय

(2) जहाँ पीठ को गठित करने वाले सदस्य, किसी बिंदु पर दिये जाने वाले निर्णय के बारे में, राय में बराबर रूप से बंट जाते हैं, वहाँ ऐसे बिन्दु पर वाद एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा सुना जायेगा और वह बिंदु, पहले सुनने वाले (सदस्यों) को सम्मिलित करते हुए, वाद को सुनने वाले सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार निर्णीत किया जायेगा।

9— जब बन्दोबस्त से सम्बन्धित किसी मामले में दिये जाने वाले आदेश के प्रति परिषद् के सदस्य समान रूप से विभाजित हों, तो जिस प्रश्न पर मत-विभाजन है उसे राज्य सरकार के पास निर्णय के लिए भेजा जायेगा।

मदभेद की स्थिति में राज्य सरकार को निर्देश

10— इस अधिनियम में किसी अन्य बात पर विचार किये बिना राज्य सरकार परिषद् के किसी सदस्य को, या तो सामान्यतः या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए परिषद् पर लागू किये गये कर्तव्यों तथा उसको प्रदत्त शक्तियों, सभी या केवल कुछ, का पालन या प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

परिषद् की शक्तियों को प्रयुक्त किये जाने के लिए सदस्य को प्राधिकृत करने की शक्ति

11— (1) राज्य सरकार नये मण्डल या जिले बना सकती है या वर्तमान मण्डलों या जिलों को समाप्त कर सकती है।

मण्डलों, जिलों, तहसीलों तथा उप-मण्डलों का सृजन, परिवर्तन तथा समापन करने की शक्ति

(2) राज्य सरकार किसी मण्डल, जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नयी तहसील बना सकती है या अस्तित्वाधीन तहसीलों को समाप्त कर सकती है, तथा कई जिलों का उप मण्डलों में विभाजन तथा किसी जिले की उप-मण्डलों की सीमायें परिवर्तित कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेशों के अधीन सभी तहसीलें जिले की सब डिवीजन समझी जायेंगी।

12— राज्य सरकार प्रत्येक मण्डल में एक आयुक्त नियुक्त करेगी, जो अपने डिवीजन में इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत आयुक्त पर लागू किये गये कर्तव्यों तथा उनको प्रदत्त की गई शक्तियों का पालन एवं प्रयोग करेगा और वह अपने मण्डल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

मण्डलों के आयुक्त

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित।  
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 वर्ष 1997 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 13-18}

13—(1) राज्य सरकार एक मण्डल या दो या दो से अधिक मण्डलों में एक अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त कर सकती है।

अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य

(2) एक अतिरिक्त आयुक्त राज्य सरकार की इच्छानुसार अपना पद धारण करेगा।

(3) एक अतिरिक्त आयुक्त ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के आदेश के अभाव में सम्बन्धित आयुक्त निर्देशित करे।

(4) यह अधिनियम तथा प्रत्येक दूसरे कानून, जो तत्समय आयुक्त को लागू है, अतिरिक्त आयुक्त को लागू होंगे, जबकि वह उपधारा (3) के अन्तर्गत किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो, मानो वह मण्डल का आयुक्त हो।

14— राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त करेगी, जो जिले का कलेक्टर होगा और जो अपने समस्त जिले में इस अधिनियम या तत्समय लागू प्रत्येक दूसरे कानून द्वारा कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों तथा उस पर लागू किये गए कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन करेगा।

जिले का कलेक्टर

14-क— (1) राज्य सरकार एक जिले में या दो से अधिक जिलों के लिए एक अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त कर सकती है।

अतिरिक्त कलेक्टरों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य

(2) एक अतिरिक्त कलेक्टर राज्य सरकार की इच्छानुसार अपना पद धारण करेगा।

(3) एक अतिरिक्त कलेक्टर ऐसे मामलों के वर्ग में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि सम्बन्धित कलेक्टर निर्देशित करे।

(4) यह अधिनियम तथा प्रत्येक दूसरे कानून जो तत्समय कलेक्टर को लागू हैं अतिरिक्त कलेक्टर को लागू होंगे, जब वह उपधारा (3) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो, मानो वह जिले का कलेक्टर हो।

15— (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में प्रथम या द्वितीय श्रेणी के सहायक कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।

सहायक कलेक्टर

(2) जिले में ऐसे सभी सहायक कलेक्टर और अन्य सभी राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीन होंगे।

16— {\*\*\*}

17—राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त कर सकती है, जितना वह उचित समझे।

तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार

18— (1) राज्य सरकार किसी प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उप-मण्डलों का प्रभारी बना सकती है, तथा वहाँ से हटा सकती है।

हाकिम परगना तथा अतिरिक्त हाकिम परगना

(2) ऐसे सहायक कलेक्टर जिले के एक उप-मण्डल का एक प्रभारी सहायक कलेक्टर या हाकिम परगना कहा जायेगा तथा वह कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी कानून द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों तथा उस पर लागू किये गये कर्तव्यों का प्रयोग या पालन करेगा।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 19-24}

(3) राज्य सरकार जिले में नियुक्त किसी प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उप-मण्डलों के अतिरिक्त हाकिम परगना के पद पर नियुक्त कर सकती है।

(4) अतिरिक्त हाकिम परगना ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग में, जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे, जिले के प्रभारी सहायक कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा।

(5) एक हाकिम परगना पर तत्समय प्रवृत्त इस धारा के अन्तर्गत तथा प्रत्येक दूसरे कानूनों के उपबन्ध जब वह उपधारा (4) के अन्तर्गत, जैसा कि एक हाकिम परगना हेतु किसी शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन करने के लिए लागू थे, वे सभी हाकिम परगना पर लागू होंगे।

(6) राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत, अपनी शक्तियाँ जिले के कलेक्टर को दे सकती है तथा वापस ले सकती है।

19—एक जिले के उप-मण्डल का प्रत्येक राजस्व अधिकारी, कलेक्टर के सामान्य नियन्त्रण में रहते हुए उप-मण्डल के प्रभारी कलेक्टर, यदि कोई हो, के अधीन होगा।

राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता

20—यदि कलेक्टर की मृत्यु हो जाती है, या अपने कर्तव्यों का पालन करने में निर्योग्य हो जाता है, तो जब तक राज्य सरकार मृत या निर्योग्य कलेक्टर के उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं करती और ऐसा उत्तराधिकारी अपनी नियुक्ति का भार ग्रहण नहीं कर लेता है, जो अधिकारी राजस्व सम्बन्धी मामलों के अस्थायी रूप से जिले के प्रमुख कार्यपालिका/प्रशासन का उत्तराधिकारी होता है, इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर समझा जायेगा।

अस्थायी रिक्ति की दशा में जिले का कलेक्टर

### अध्याय – तीन मानचित्रों तथा अभिलेखों का अनुरक्षण (क) कानूनगो और लेखपाल

21—(क) कलेक्टर जिले के गांवों को लेखपाल के हल्कों में कमबद्ध कर सकता है तथा समय-समय पर लेखपालों की संख्या में कोई परिवर्तन किये बिना, ऐसे कल्कों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

लेखपाल के हल्कों का निर्माण और परिवर्तन करने की शक्ति

(2) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित परिवर्तनों से लेखपालों की संख्या पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो इसके लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कमबद्धता या परिवर्तन तब तक पूर्ण नहीं समझा जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार की मंजूरी उस हेतु प्राप्त न कर ली गई हो।

22— {\*\*\*}<sup>1</sup>

23— इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अभिलेख की तैयारी के लिए तथा ऐसे कर्तव्यों के प्रयोजनार्थ, जो विहित किए जायं, राज्य सरकार प्रत्येक हल्के के लिए एक लेखपाल नियुक्त करेगी।

लेखपालों की नियुक्ति

24— {\*\*\*}<sup>1</sup>

1. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा लोप किया गया।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 25-30}

25— सालाना रजिस्ट्रों के समुचित पर्यवेक्षण, रख-रखाव, सुधार तथा ऐसे ही अन्य कर्तव्यों के लिए, जो राज्य सरकार, समय-समय पर विहित करे, प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक कानूनगो नियुक्त किये जा सकते हैं।

कानूनगो की नियुक्ति

26— {\*\*\*}<sup>1</sup>

27— प्रत्येक कानूनगो और लेखपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अस्थायी तौर पर किसी ऐसे अधिकारी के कर्तव्य के निस्तारण के लिए नियुक्त किया गया है, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सार्वजनिक कर्मचारी समझे जायेंगे तथा किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुरक्षित, सभी सरकारी अभिलेख तथा दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेख समझे जायेंगे तथा उन्हें राज्य सरकार की सम्पत्ति समझा जायेगा।

कानूनगो और लेखपाल सार्वजनिक कर्मचारी होंगे तथा उनके अभिलेख सार्वजनिक अभिलेख होंगे

### (ख) नक्शे

28— कलेक्टर धारा 234 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार अपने जिले के प्रत्येक गांव का एक नक्शा तथा फील्ड बुक का अनुरक्षण करेगा तथा वह प्रति वर्ष या इतनी अधिक अवधि के अन्तराल पर, जो राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक गांव या खेत की सीमाओं में होने वाले परिवर्तनों को स्थिर करायेगा तथा वह ऐसे नक्शों तथा फील्ड बुक में दिखाई गई भूलों का सुधार करेगा।

मानचित्र (नक्शा) तथा फील्ड बुक का अनुरक्षण

29— (1) अपने खेतों पर विधिपूर्वक बनाए गए स्थायी सीमा संकेतों का अपने व्यय पर साधारण तथा उचित रूप में रखना प्रत्येक भू-स्वामी का कर्तव्य होगा।

सीमा संकेतों के रूप में भू-स्वामियों की बाध्यता

(2) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित गांव के विधिपूर्वक बनाए गए स्थायी सीमा संकेतों का अपने व्यय पर बनाया जाना तथा उसे उचित रूप में रखना गांव सभा का कर्तव्य होगा।

(3) कलेक्टर किसी भी समय गांव तथा भू-स्वामी को, जैसी भी स्थिति हो, आदेश दे सकता है कि -

(क) वह ऐसे गांवों तथा खेतों पर सीमा संकेत बनाये;

(ख) वह उन पर विधिपूर्वक बनाए गए सभी सीमा संकेतों को ऐसे रूप में या तरीके से, जैसा कि विहित किया जाये, मरम्मत कराये या उसे पूर्वावस्था में लाये।

30— किसी ऐसे व्यक्ति को दोषारोपित करने के लिए, जिसने जानबूझकर किसी सीमा संकेत को मिटाया हो, हटाया हो या क्षतिग्रस्त किया हो और प्रत्येक कइस प्रकार मिटाये गये, हटाये गये या क्षतिग्रस्त किये गये चिन्हों के लिए उस पर अधिक से अधिक 50 रुपये तक कलेक्टर जुर्माना कर सकता है, जितना चिन्ह को फिर से स्थापित करने तथा उस व्यक्ति को बतौर इनाम देने के लिए जरूरी है, जिसकी सूचना पर वह व्यक्ति दोषी घोषित किया गया था। जब ऐसी धनराशि की वसूलयाबी नामुमकिन हो तथा जब अपराधी का पता न चल रहा हो तो कलेक्टर संकेत को पुनःस्थापित करा कर उसका व्यय ऐसे भू-स्वामियों या गांव सभा के समीपस्थ स्थित खेत या गांवों के भू-धारक से, जैसी भी, स्थिति हो, वसूल करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

संकेतों को क्षतिग्रस्त करने अथवा हटाने के लिए शास्ति

1. विधि अनुकूलन आदेश 1950द्वारा लोप किया गया।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 31-33}

(ग) रजिस्टर

31— कलेक्टर विहित रूप में सभी गांवों की सूची तैयार करायेगा तथा नियत रीति से उनका अनुरक्षण विहित रूप में यह दशाये जाने के लिए कि वे क्षेत्र—

गांवों की सूची

(क) नदी के बहाव से प्रभावित क्षेत्र है;

(ख) संदेहपूर्ण खेती वाले क्षेत्र हैं; तथा

(ग) जिनकी मालगुजारी, पूर्णतः या अंशतः वसूली गई, सम्मिश्रित धन देकर छुड़ायी या नियत कर ली गई है;

ऐसे रजिस्ट्रों का पुनरीक्षण, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार, प्रत्येक पांचवें वर्ष पर किया जाता रहेगा।

32— ऐसे अपवादों के अधीन, जो धारा 234 के उपबन्धों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जायें, प्रत्येक गांव के लिए कए अधिकार-अभिलेख होगा। अधिकार-अभिलेख उन सभी व्यक्तियों के एक रजिस्टर के रूप में होगा, जो खेती करते हों या अन्यथा भूमि पर काबिज हों तथा धारा 55 में निर्देशित ब्यौरों का इसमें उल्लेख होगा।

अधिकार-अभिलेख

33— (1) कलेक्टर अधिकार-अभिलेख का संधारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष या इतनी अधिक समयावधि के पश्चात्, जो राज्य सरकार विहित करे, धारा 32 में उल्लिखित एक संशोधित रजिस्टर तैयार करायेगा।

वार्षिक रजिस्टर

इस प्रकार तैयार किया गया रजिस्टर 'वार्षिक रजिस्टर' कहलायेगा।

{(2) कलेक्टर वार्षिक रजिस्टर में —

(क) धारा 35 के उपबन्धों के अनुसार समस्त उत्तराधिकार तथा संक्रमण; या

(ख) अन्य परिवर्तन, जो किसी भूमि के संबंध में हो ;

अभिलिखित करायेगा और समस्त अशुद्धियों तथा लोपों को धारा 39 के उपबन्धों के अनुसार शुद्ध भी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के अधीन परिवर्तन अभिलिखित करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत किसी ऐसे विवाद को निर्णीत करने का अधिकार भी है, जिसमें हक सम्बन्धी कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो।<sup>1</sup>

(3) ऐसा कोई परिवर्तन या संव्यवहार कलेक्टर या जैसा एतत्पश्चात् उपबन्धित किया गया है, तहसीलदार अथवा कानूनगो के आदेश के बिना लिखित नहीं किया जायेगा।

{(4) कलेक्टर, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त, जो भूमिधर, चाहे संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं, असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, एक किसान बही (पास बुक) तैयार करायेगा और उसे दिलवायेगा, जिसमें —

(क) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर से लिए गए ऐसे उद्धरण, जिसमें उन सभी जोतों के विषय में, जिनके संबंध में वह (अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित हो, होंगे;

(ख) उसे स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा होगा; और

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।



{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 33क-34}

(ग) ऐसे अन्य विवरण; जो नियत किये जायं, होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त जोतों की स्थिति में, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा, यदि किसान बही (पास बुक) ऐसे अभिलिखित सह-अंशधारियों में से ऐसे एक या एकाधिक को, जो नियत किया जाय, दी जाय।

(4-क) उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसान बही (पास बुक) ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क, जो भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकेगा, की अदायगी पर तैयार किया जायेगा, जो कि विहित किया जाये।

(5) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की अदायगी के उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रजिस्टर में किये गये किसी संशोधन को अपनी किसान बही (पास बुक) में समादिष्ट कराने के लिए अधिकृत होगा।<sup>3</sup>

(6) राज्य सरकार, साक्ष्य में संग्रहण एवं न्यायिक कार्यवाही में सबूत तथा [किसान बही (पास बुक)]<sup>4</sup> में प्रविष्टि की रीति तथा इसके पुनरीक्षण एवं अद्यावधिक प्रमाणीकरण की रीति, विहित करने वाले और द्वितीय प्रति जारी करने एवं उक्त प्रयोजन के लिए प्रभारित किये जाने वाले शुल्क, यदि कोई हो, के लिए नियमों को सम्मिलित करते हुए, इस धारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है।

(7) इस धारा में 'विहित' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।

(8) उपधारा (4) से (7) तक की कोई बात उन क्षेत्रों पर, जो या तो चकबन्दी प्रक्रिया या तो अभिलेख प्रक्रिया के अधीन है, लागू नहीं होंगी।

{33-क— (1) जहां कोई व्यक्ति उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करता है, कानूनगो ऐसी जांच करेगा, जैसी कि विहित की जाये और यदि मामला निर्विवाद हो तो वह उसे वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

निर्विवादित उत्तराधिकार के मामलों में वार्षिक रजिस्ट्रों का संशोधन

{(2) उपधारा (1) के उपबन्ध—

(एक) किसी व्यक्ति के, जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 195 के अधीन किसी भूमि का सीरदार था, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंकमणीय अधिकार वाला भूमिधर, या द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 197 के अधीन किसी भूमि का असामी हो गया है; तथा

(दो) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन किए गए भूमि के प्रत्येक बन्दोबस्त के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।<sup>5</sup>

34— {(1) उत्तराधिकार या संक्रमण (ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण से भिन्न, जिसे धारा 33-क के अधीन पहले ही अभिलिखित कर लिया गया है) द्वारा किसी भूमि पर कब्जा पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण की सूचना उस तहसील के तहसीलदार को देगा, जिसमें भूमि स्थित हो।<sup>1</sup>

उत्तराधिकार अथवा कब्जे के अन्तरण की रिपोर्ट

(2) {\*\*\*}<sup>2</sup>

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 37 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 37 (ख) द्वारा निरसित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 23 वर्ष 1992 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 23 वर्ष 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 35-39}

(3) {'''}<sup>1</sup>

(4) यदि इस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करने या अन्यथा कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवयस्क है या अन्यथा अनर्हित है तो अभिभावक या अन्य व्यक्ति, जिसके प्रभार में सम्पत्ति है, इस धारा द्वारा अपेक्षित संसूचना देगा।

(5) कोई राजस्व न्यायालय इस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करने या अन्यथा कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया गया कोई वाद या दिया गया आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने इस धारा द्वारा अपेक्षित संसूचना न दी हो।

{स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ, शब्द 'संकमण' के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात् —

(एक) ऐसा कौटुम्बिक व्यवस्थापन, जिसके द्वारा उस कुटुम्ब के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों के नाम में अधिकार अभिलेख में अभिलिखित जोत या जोत के भाग को किसी दूसरे या अन्य सदस्यों का होना प्रख्यापित किया जाय; या

(दो) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 161 के अधीन जोत या उसके भाग का विनिमय प्रख्यापित किया जाय।<sup>1</sup>

{35— धारा 34 के अधीन उत्तराधिकार या संकमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्यथा तथ्यों की जानकार होने पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा, जो आवश्यक प्रतीत हो और यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या संकमण हुआ है तो वह वार्षिक रजिस्ट्रों को तदनुसार संशोधित करने का निदेश देगा।<sup>2</sup>

रिपोर्ट पर प्रक्रिया

36— {'''}<sup>1</sup>

37— (1) रजिस्ट्रों में नामान्तरण के लिए उचित शुल्क राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है :

नामान्तरण के लिए शुल्क निर्धारित करने की शक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि एकल नामान्तरण के लिए शुल्क पांच रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) ऐसा शुल्क उस व्यक्ति पर लगाया जायेगा, जिसके पक्ष में नामान्तरण किया जा रहा है।

38— यदि कोई व्यक्ति पट्टे के मामले में कब्जा प्राप्त करने की तारीख से या उत्तराधिकार या अन्य अन्तरण की तारीख से तीन मास के भीतर 34 द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन करने की उपेक्षा करता है तो वह जुर्माने का भागी होगा, जो धारा 37 के अन्तर्गत देय शुल्क की राशि के पांच गुने से अधिक नहीं होगी या यदि कोई शुल्क न लगने वाला हो तो ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी, जो राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे।

प्रतिवेदन करने में उपेक्षा के लिए जुर्माना

39— (1) वार्षिक रजिस्टर में किसी भूल या लोप के सुधार के लिए प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को दिया जायेगा।

वार्षिक रजिस्टर में अशुद्धियों का सुधार

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने या वार्षिक रजिस्टर में किसी भूल या लोप का अन्यथा संज्ञान होने पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा, जो आवश्यक प्रतीत हो और तब मामले को कलेक्टर के पास निर्दिष्ट कर देगा, जो धारा 40 के उपबन्धों के अनुसार विवाद का निर्णय करके, उसका निस्तारण करेगा :

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951 द्वारा लोप किया गया।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 30 वर्ष 1975 की धारा 37 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 40-42}

{प्रतिबन्ध यह कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह कलेक्टर को कोई ऐसे विवाद, जिसमें हक सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, निर्णीत करने की शक्ति प्रदान करती है।}²

(3) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में किसी बात के होने के बावजूद उपधारा (1) एवं (2) के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

40— (1) वार्षिक रजिस्टर में प्रविष्टियों के विषय में सभी विवादों का निर्णय कब्जे के आधार पर किया जायेगा।

वार्षिक रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए विवादों का निपटारा

(2) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद की जांच के दौरान, कलेक्टर या तहसीलदार अपने को इस बात से सन्तुष्ट नहीं कर पाता है कि कौन पक्षकार काबिज है तो वह अविलम्बित जांच के द्वारा ठीक-ठीक पता लगायेगा कि वह कौन सा व्यक्ति है, जो सम्पत्ति का समुचित रूप से उत्तराधिकारी है तथा ऐसे व्यक्ति को काबिज करायेगा।

(3) {''''}¹

स्पष्टीकरण— इस धारा में 'कब्जा' शब्द का तात्पर्य उत्तराधिकार या अन्तरण पर आधारित कब्जा है।

40-क— धारा 33, 35, 39, 40, 41 अथवा 54 के अन्तर्गत पारित आदेश किसी सक्षम न्यायालय में जोत में अधिकार के आधार पर अनुतोष के लिए किसी वाद को निरोधित नहीं करेगा।

स्वत्व संबंधी वाद के विषय में व्यावृत्तियां

41— (1) सीमा सम्बन्धी सभी विवादों को यथासम्भव वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर निर्णित किया जायेगा, परन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमायें निश्चित की जायेंगी।

सीमा विवादों का निपटारा

(2) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद की जांच के दौरान, कलेक्टर अपने को इस बात पर संतुष्ट करने में असमर्थ पाता है कि कौन पक्षकार काबिज है या यदि यह दर्शित किया जाता है कि जांच प्रारम्भ होने के पहले तीन मास के भीतर वैध अध्यासियों को कब्जा सदोष बेदखली करके प्राप्त कराया गया है तो कलेक्टर —

(क) पहली परिस्थिति में अविलम्बित जांच द्वारा परिनिश्चित करेगा कि सम्पत्ति का उचित अधिकार रखने वाला कौन सा व्यक्ति है तथा ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा;

(ख) दूसरी परिस्थिति में इस प्रकार बेदखल किये गये व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा और तदनुसार सीमा निर्धारित करेगा।

41-क— {''''}¹

42— {''''}¹

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951 द्वारा लोप किया गया ।  
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 43-50}

43— किसी खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व या लगान के संबंध में विवाद होने की दशा में कलेक्टर विवाद का निस्तारण नहीं करेगा, बल्कि पिछले वर्ष देय भू-राजस्व या लगान को, जब तक कि उसे इस अधिनियम या यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1039 या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत करार अथवा आदेश द्वारा बढ़ा या समाप्त न कर दिया गया हो, उस वर्ष के लिए, जिसका उल्लेख वार्षिक रजिस्टर करता है, देय दर्ज कर देगा।

देय लगान विवादित होने पर प्रक्रिया

44— वार्षिक रजिस्टर की सभी प्रविष्टियां, जब तक कि विपरीत सिद्ध न कर दी जायं, सही मानी जायेंगी।

वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों के विषय में धारणा

45— [“”]<sup>1</sup>

46— व्यक्ति, जिसके अधिकार, हित या देयता तत्समय लागू किसी विधि या ऐसी विधि के अंतर्गत बनाये गये किसी नियम द्वारा कानूनगो अथवा लेखपाल द्वारा सरकारी रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने के अपेक्षित हो, कानूनगो या लेखपाल अथवा रजिस्टर के संकलन में लगे किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर, उनके सही संकलन के लिए आवश्यक समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

अभिलेखों की तैयारी के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व

47— अधिनियम के अंतर्गत रखे जाने वाले सभी नक्शे, फील्डबुक एवं रजिस्टर ऐसे समय पर तथा शुल्क के बारे में या अन्यथा ऐसी शर्तों पर जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

अभिलेखों का निरीक्षण

#### अध्याय— चार नक्शों तथा अभिलेखों का पुनरीक्षण

48— यदि राज्य सरकार यह समझती है कि किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में, अभिलेखों का सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या दोनों किया जाना चाहिए तो वह इस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

अभिलेख-प्रवर्तन की अधिसूचना

अधिसूचना का प्रभाव— और ऐसा प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र, अभिलेख या सर्वेक्षण संक्रियाओं या दोनों के, जैसी भी स्थिति हो, विज्ञप्ति के दिनांक से जब तक कि दूसरी विज्ञप्ति उन संक्रियाओं को बन्द किए जाने की घोषणा करते हुए जारी न की गई हो, के अन्तर्गत रखा जाएगा।

49— राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र में अभिलेख कार्यवाहियों या सर्वेक्षण या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के प्रभारी के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, जिसे एतस्मिन्पश्चात् अभिलेख अधिकारी कहा जायेगा तथा वह जितने उचित समझे उतने सहायक अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और जब तक ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभिलेख कार्यवाही या सर्वेक्षण, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन रहे, उस दौरान में ऐसे अधिकारी या इस अधिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त किये गये अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

अभिलेख अधिकारी

{50— जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अन्तर्गत हो, तब अभिलेख अधिकारी यह निर्देश देते हुए उद्घोषणा कर सकता है कि सभी गांव सभा और भूमिधर पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे सीमा-चिन्ह लगायें, जिन्हें उनके गांवों और खेतों की सीमा को निर्धारित करने के लिए अभिलेख अधिकारी आवश्यक समझे और उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उनके द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में अभिलेख अधिकारी ऐसे सीमा-चिन्ह लगवा सकता है और तब कलेक्टर उनके लगाने की लागत सम्बद्ध गांव सभा या भूमिधरों से वसूल करेगा।<sup>1</sup>

सीमा चिन्ह लगाने की अभिलेख अधिकारी की शक्ति

1. उ0प्र अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951 द्वारा लोप किया गया।  
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1977 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 51-54}

51— किन्हीं सीमाओं के संबंध में विवाद के मामले में अभिलेख अधिकारी ऐसे विवाद का विनिश्चय धारा 41 में विहित रीति से करेगा।

विवादों का विनिश्चय

52— जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण संक्रियाओं के अन्तर्गत हो तो अभिलेख अधिकारी उसमें स्थित प्रत्येक गांव के लिए एक नक्शा तथा फील्ड बुक तैयार करेगा, जो तदुपरान्त, पहले से विद्यमान नक्शे तथा फील्ड बुक के स्थान पर कलेक्टर द्वारा धारा 28 में उपबन्धित के अनुसार रखी जायेगी।

पुनः सर्वेक्षण में तैयार किए जाने वाले अभिलेख

53— जब कोई स्थानीय क्षेत्र अभिलेख कार्यवाही के अन्तर्गत हो तो अभिलेख अधिकारी उसमें प्रत्येक गांव के लिए धारा 32 में निर्दिष्ट अभिलेख तैयार करेगा और इस प्रकार तैयार किए गए अभिलेख तदुपरान्त धारा 33 के अन्तर्गत पले रखे जा रहे अधिकार अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर द्वारा रखे जायेंगे।

नये अधिकार अभिलेखों की तैयारी

{54— (1) इस अध्याय के अधीन मानचित्र और अभिलेखों का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी आगे दिए गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र-शोधन, खतेतवार पड़ताल और चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन करायेगा।

विवाद रहित प्रविष्टियां और अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों सम्बन्धी विवादों का निपटारा

(2) उपधारा (1) के अनुसार चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात् नायब तहसीलदार ऐसे रजिस्टर में लिपिकीय भूलों और गलतियों को, यदि कोई हो, ठीक करेगा और सम्बद्ध खातेदार और ऐसे अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस भिजवायेगा, जिसमें चालू वार्षिक रजिस्टर और ऐसे अन्य अभिलेखों से, जिन्हें विहित किया जाये, सुसंगत उद्धरण दिये जायेंगे और जिसमें भूमि के संबंध में उनके अधिकार और दायित्व और उक्त अपराध में उल्लिखित क्रियाओं के दौरान पायी गयी भूलें और विवाद दिखाये जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे अभिलेखों या उद्धरणों में प्रविष्टियों की शुद्धता या उनके प्रकार के सम्बन्ध में प्रतिवाद किया गया हो।

(4) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति भी उपधारा (5) के अनुसार विवाद का निपटारा होने के पूर्व नायब तहसीलदार के समक्ष या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किये जाने के पूर्व सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष किसी समय आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

(5) नायब तहसीलदार —

(क) जहां उपधारा (3) या उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायें, वहां सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे;

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश पारित करेगा।

(6) उन सभी मामलों के अभिलेख, जिनका निस्तारण नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जायेगा, जो उनका निस्तारण, यथास्थिति, धारा 40, 41 या 43 के उपबन्धों के अनुसार करेगा और जहां विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, वहां वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात् करेगा।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 55-57}

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाये कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहां वह ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को बेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।

(8) सहायक अभिलेख अधिकारी का प्रत्येक आदेश—

(क) जो उपधारा (6) के अधीन दिया गया हो, धारा 210 और 219 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा;

(ख) जो उपधारा (7) के अधीन दिया गया हो, व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में प्रस्तुत वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।<sup>1</sup>

55—धारा 32 में विनिर्दिष्ट भूमि पर खेती करने वाले या अन्यथा कब्जा करने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर प्रत्येक खातेदार के विषय में निम्नलिखित विवरण विनिर्दिष्ट करेगा :

कृषकों की सूची में वर्णित होने वाले विवरण

(क) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 द्वारा निर्धारित भौमिक अधिकार का वर्ग;

(ख) खातेदार द्वारा देय राजस्व या लगान; और

(ग) भौमिक अधिकार की कोई अन्य शर्तें, जिसे राज्य सरकार, धारा 234 के अधीन बने नियमों द्वारा अभिलिखित किया जाना अपेक्षित करे।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए वह वर्ष, जिसके लिए रजिस्टर तैयार किया जाता है, एक पूर्ण वर्ष गिना जायेगा।

56— {“””””}²

57— इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार अभिलेख की सभी प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न कर दी जायें, सही मानी जायेंगी तथा विवादों के मामलों में इस अध्याय के अन्तर्गत दिए गये सभी निर्णय, धारा 40 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन, ऐसे विवादों के विषय-वस्तु के संबंध में सभी राजस्व न्यायालयों पर बंधकारी होंगे, लेकिन ऐसी कोई प्रविष्टि या निर्णय किसी व्यक्ति के धारा 32 द्वारा विहित रजिस्टर में अभिलिखित किये जाने के लिए अपेक्षित भूमि में, किसी हित को व्यवहार न्यायालय में, मांगने एवं सिद्ध करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रविष्टियों के संबंध में धारणा

### अध्याय 5 से अध्याय 8 (X X X)³

- 
1. उ० प्र० अधिनियम सं० 6 वर्ष 1978 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
  2. उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951 द्वारा लोप किया गया।
  3. उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951 की अनुसूची 3 सूची 2 क्रम सं० 8 द्वारा धारा 58 से 188 लोप की गयी।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 189-193}

## अध्याय - 9

### राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया

189— एक आयुक्त अपने मण्डल में किसी स्थान पर अपना न्यायालय पदस्थ कर सकता है।

न्यायालय पदस्थ किये जाने का स्थान

एक अपर आयुक्त उस मण्डल या मण्डलों में, जिसमें या जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है, किसी स्थान पर अपना न्यायालय पदस्थ कर सकता है।

एक कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, (चाहे वह जिले के किसी उपमण्डल का प्रभारी हो अथवा नहीं) अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, जिस जिले में उसे नियुक्त किया गया है, उसके किसी स्थान पर अपना न्यायालय पदस्थ कर सकता है।

तहसीलदार अपनी तहसील में किसी स्थान अपना न्यायालय पदस्थ कर सकता है।

190— कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी और उनके सहायक, अधीनस्थ कर्मचारीगण, अभिकर्ता तथा कार्यकर्ता भूमि पर प्रवेश, सर्वेक्षण तथा भूमि की हदबन्दी का सीमांकन कर सकते हैं एवं इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों सम्बन्धी किसी प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक कार्य निष्पादित कर सकते हैं।

भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने की शक्ति

{191— परिषद् या आयुक्त, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी वाद या कार्यवाही को, जिसके अन्तर्गत विभाजन सम्बन्धी वाद भी है, किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से किसी ऐसे अन्य न्यायालय या अधिकारी को, जो उन पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम हो, संकमित कर सकता है।<sup>1</sup>}

संकमित करने का परिषद् या आयुक्त का अधिकार

192— कलेक्टर जिले के उपखण्ड का प्रभारी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अभिलेख अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अन्यथा होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपनी फाइल से अपने किसी ऐसे सक्षम अधीनस्थ को जांच या निर्णय के लिए भेज सकता है, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का निपटारा करने के लिए सक्षम हो अथवा किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपने किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के यहां से वापस मंगाकर स्वयं उसका निपटारा कर सकता है या निपटारे जाने के लिए किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी के पास भेज सकता है, जो उसका निपटारा करने के लिए सक्षम हो।

अधीनस्थों से, या के पास, वादों को अन्तरित करने की शक्ति

192-क— जहां निर्धारण के लिए सारतः समान प्रश्न से युक्त एवं समान वाद कारण पर आधारित एक से अधिक एक या एक से अधिक न्यायालयों में चल रहे हों, किसी पक्षकार द्वारा ऐसे न्यायालयों को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, जिसके अधीन संबंधित न्यायालय अथवा अदालतें हैं, एक ही न्यायालय में एकीकृत किये जायेंगे और एक ही निर्णय द्वारा निर्णीत किये जायेंगे। ऐसे मामले सीधे उससे वरिष्ठ न्यायालय में दायर किये जा सकते हैं।

मामलों का एकीकरण

193— कोई राजस्व न्यायालय किसी व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति अपने समक्ष किसी अन्वेषण, वाद अथवा अन्य कार्य के प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझे, आहूत कर सकता है।

साक्ष्य देने एवं अभिलेख दाखिल करने के लिए व्यक्तियों को आहूत करने की शक्ति

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 194-199}

इस प्रकार आहूत किये गये सभी व्यक्ति स्वयं या किसी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा, जैसा कि न्यायालय में भेज दे, उपस्थित होने के लिए और जिस विषय के सम्बन्ध में उनकी पृच्छा की जाये, उसके विषय में सत्य कहने या बयान देने एवं कागजात या ऐसी चीजें पेशन करने, जैसा कि अपेक्षित किया जाये, बाध्य होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 132 एवं 133 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त व्यक्ति उन धाराओं के उपबन्धों के अधीन इस धारा के अन्तर्गत व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त होंगे।

194— यदि कोई व्यक्ति, जिस पर साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन तामील हो चुका है, समन का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह अधिकारी, जिसने समन जारी किया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 के नियम 10 से 13, 17 एवं 18 द्वारा व्यवहार न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

समन के अननुपालन की दशा में प्रक्रिया

195— प्रत्येक समन दो प्रतियों में लिखित होगा एवं जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह इसके लिए सशक्त करे, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया जायेगा।

समन का लिखित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित होना

**समन तामिली की प्रक्रिया जारी करने वाले से भिन्न जिले में तामिली—** समन की तामिली समन किये गये व्यक्ति को उसकी एक प्रति के निविदान या परिदान द्वारा की जायेगी या यदि उसका पता नहीं चल सकता है तो समन की एक प्रति साधारणतः उसके निवास-स्थान के किसी सहज दृश्य पर भाग कर चिपकाकर की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे जिले में निवास करता है, तो समन डाक द्वारा उस जिले के कलेक्टर के पास तामिली किये जाने के लिए प्रेषित किया जाएगा।

196— इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक नोटिस उस व्यक्ति पर जिस पर यह तामिली होना है या यदि ऐसा व्यक्ति भूमि का स्वामी है तो उसके अभिकर्ता पर निविदान या परिदान द्वारा अथवा उसकी एक प्रति भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अन्तर्गत पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर या उस भूमि, जिसका हवाला नोटिस में दिया गया है, पर या के समीपस्थ किसी लोक समागम के स्थान पर उसकी एक प्रति चस्पा कर तामिली की जा सकेगी।

नोटिस तामिली करने की रीति

197— जब कभी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई उद्घोषणा जारी की जाती है तो उसकी प्रतियां उसे जारी करने वाले अधिकारी के न्याय सदन में, उस तहसील, जिसके अन्दर संदर्भित भूमि स्थित है, के मुख्यालय पर एवं संदर्भित भूमि पर या के निकट लोक समागम के किसी स्थान पर, चिपकायी जायेंगी और यदि इसे जारी करने वाला अधिकारी ऐसा निदेश दे, तो इसके अतिरिक्त उस भूमि, जिसका हवाला इसमें दिया गया है, पर या के निकट उद्घोषणा का प्रकाशन ढोल पीट कर किया जायेगा।

उद्घोषणा जारी करने की रीति

198— किसी व्यक्ति के नाम या पदनाम में अथवा उसमें निर्दिष्ट किसी भूमि के विवरण में किसी त्रुटि के कारण कोई नोटिस या उद्घोषणा जब तक ऐसी त्रुटि से सारवान अन्यून हुआ हो, शून्य नहीं समझी जायेगी।

नोटिस एवं उद्घोषणा त्रुटि के कारण शून्य नहीं होगी

199— यदि किसी राजस्व न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक प्रकृति की किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार साक्षियों की उपस्थिति चाहता है तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 के नियम 2 से 4 तक में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

साक्षियों की उपस्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया



{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 200-206}

200— जब ऐसी कार्यवाही का कोई पक्षकार समन में निर्दिष्ट दिवस पर अथवा किसी अन्य दिवस पर जिस तक मामला स्थगित कर दिया गया हो, उपस्थित होने में उपेक्षा करता है, तो न्यायालय ऐसे चूक के कारण मामलों को खारिज कर सकता है या एकपक्षीय सुनवाई कर फ़ैसला कर सकता है।

पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई

201— धारा 200 के अन्तर्गत एकपक्षीय या चूक के कारण पारित किये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी :

एकपक्षीय अथवा चूक के कारण पारित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं

परन्तु ऐसे सभी मामलों में यदि वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध निर्णय दिया गया है, स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा यदि वादी है तो ऐसे आदेश के पन्द्रह दिन के भीतर और यदि प्रतिवादी है तो ऐसे आदेश को उसे संसूचित किये जाने या निर्णय को लागू किये जाने के लिए किसी आदेशिका के निष्पादन के 15 दिन के भीतर या इससे पहले हाजिर हाता है और अपनी अनुपस्थिति के लिए उपयुक्त कारण दिखाता है तथा आदेश देने वाले अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर देता है कि न्याय नहीं हुआ है तो ऐसा अधिकारी खर्च के विषय में या अन्यथा, ऐसी शर्तों पर जिसे वह उचित समझे, मामले को पुनर्जीवित कर सकता है तथा मामल के न्याय के अनुसार आदेश को परिवर्तित या विखण्डित कर सकता है।

प्रतिपक्षी को बिना समन किये आदेश परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई आदेश उस पक्षकार को जिसके पक्ष में निर्णय दिया गया है, उपस्थित होने एवं इसके समर्थन में सुने जाने के लिए पहले समन किये बिना उलटा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

202— कोई न्यायालय अथवा अधिकारी, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश के 90 दिनों के अन्दर या तो स्वयं अपनी ओर से या किसी पक्षकार के प्रार्थना-पत्र पर, मामले के किसी सारवान भाग को प्रभावित न करने वाली किसी त्रुटि या लोप को, पक्षकारों को ऐसी सूचना के पश्चात्, जो कि आवश्यक हो, सुधार सकता है।

त्रुटि या लोप का सुधार

203— परिषद्, आयुक्त अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, अभिलेख अधिकारी या सहायक अभिलेख अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी अपने सामने चल रहे किसी विवाद को पक्षकारों की सहमति से आदेश द्वारा मध्यस्था के लिए भेज सकते हैं।

विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने की शक्ति

204— धारा 203 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए भेजे गये सभी मामलों में मध्यस्था अधिनियम, 1940 के प्राविधान, जहां तक कि वे इस अधिनियम में किसी बात से असंगत न हों, लागू होंगे।

मध्यस्थता के लिए भेजे गये मामलों में प्रक्रिया

205— पंचाट को अपास्त कराने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र पंचाट की सुनवाई के लिए नियत दिनांक के बाद 10 दिन के अन्दर दिया जायेगा।

पंचाट को अपास्त कराने के लिए प्रार्थना-पत्र

206— यदि निर्देश करने वाले अधिकारी को इस बात का कोई कारण नहीं दिखलाई देता है कि पंचनिर्णय या उसमें उल्लिखित किसी मामले को पुनः विचारार्थ मध्यस्थता के लिए भेजा जाए तथा यदि पंचनिर्णय को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है अथवा यदि उसने ऐसे आवेदन-पत्र को नामंजूर कर दिया है तो वह मामले को पंचनिर्णय के अनुसार निर्णीत करेगा या यदि पंचनिर्णय उसके समक्ष एक विशिष्ट मामले के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे मामलों में अपने मतानुसार निर्णीत करेगा।

पंचनिर्णय के अनुसार विनिश्चय

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 207-213}

207— ऐसे निर्णय का तुरन्त कार्यान्वयन किया जायेगा और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी, जब तक कि वह निर्णय पंचाट के परे नहीं है या उसके अनुसार नहीं है या जब तक निर्णय के विरोध में यह नहीं कहा जाता है कि विधि या तथ्य की दृष्टि में कोई वैध पंचनिर्णय नहीं है;

अपील एवं दीवानी न्यायालय में वाद के प्रति वर्जन

और कोई भी व्यक्ति इसे अपास्त करने के प्रयोजनार्थ अथवा मध्यस्थों के विरुद्ध उसके पंच निर्णय के कारण कोई वाद सिविल न्यायालय में दायर नहीं करेगा।

208— पक्षकार और पक्षकार के बीच खर्च के अतिरिक्त, सभी फीस, जुर्माने एवं खर्च तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान के लिए आदेशित दूसरी धनराशियां उसी प्रकार वसूल की जा सकेंगी, मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

जुर्माने तथा खर्च की वसूली

राजस्व न्यायालय को इस अधिनियम में किन्हीं विशिष्ट उपबन्धों के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, इस अधिनियम के अन्तर्गत देय खर्च को देने एवं विभाजित करने का अधिकार ऐसी रीति में होगा, जैसा कि वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि जब भूमि को इस धारा के अधीन राज्य सरकार को अदा न किये जाने वाली धनराशि के लिए बेचा गया हो तो ऐसी बिक्री के लिए धारा 161 के लिए धारा 161 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

209— जब यह आदेश दिया जाय कि एक व्यक्ति को किसी अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जाए तो ऐसा आदेश देने वाला अधिकारी कब्जे का समर्पण उसी रीति तथा उन्हीं अधिकारों सहित करेगा, जो सभी अवमान प्रतिरोध तथा ऐसी ही बातों के सिलसिले में सिलि न्यायालय द्वारा अपनी डिक्कियों के निष्पादन में वैधतापूर्वक प्रयोग किये जाते हैं।

अचल सम्पत्ति के कब्जे का समर्पण

### अध्याय-10 {अपील और पुनरीक्षण}<sup>3</sup>

210— (1) इस अधिनियम के अधीन अपीलें निम्नलिखित प्रकार से होंगी :-

न्यायालय, जिनमें अपीलों की जा सकती हैं

(क) सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अभिलेख अधिकारी को;

(ख) (एक) कलेक्टर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी अथवा परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध आयुक्त को;

(दो) सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी अथवा तहसीलदार के आदेशों के विरुद्ध कलेक्टर को;

(ग) [ ]<sup>2</sup>

(2) [ ]<sup>2</sup>

(3) [ ]<sup>2</sup>

(4) [ ]<sup>2</sup>

(5) [ ]<sup>2</sup>

(6) धारा 28, 33, 39 या 40 के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी।

211— जब तक कोई आदेश इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्तिम नहीं कर दिया जाता है, धारा 210 के अधीन उसकी सुनवाई के लिए अधिकृत न्यायालय को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हुई कार्यवाहियों में पारित प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी।

प्रथम अपील

212— [ ]<sup>2</sup>

213— [ ]<sup>1</sup>

- 
1. उ०प्र० अधिनियम सं० 20 वर्ष 1954 द्वारा निरसित।
  2. उ०प्र० अधिनियम 01 वर्ष 1951 द्वारा लोप किया गया।
  3. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 वर्ष 1997 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 214-219}

214— जब तक कि इस अधिनियम में, अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, आलोच्यादेश के दिनांक से 30 दिन बीत जाने पर, कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी।

अपील दायर करने की अवधि

215— भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 5 में विनिर्दिष्ट आधारों पर अपील को स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी।

अपील ग्रहण करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील

216— (1) अपीलीय न्यायालय अपील को या तो स्वीकार कर सकता है या सरसरी तौर पर नामंजूर कर सकता है।

अपीलीय न्यायालय की शक्तियां

(2) यदि वह अपील को स्वीकार करता है तो वह, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसे पलट सकता है, बदल सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या ऐसी और जांच किये जाने या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने का निदेश दे सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे;

या स्वयं ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है;

या मामले का निपटाने के लिए ऐसे निर्देशों के साथ रिमाण्ड कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

217— जब अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाती है तो अपील के परिणाम आने तक, अपीलीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के निष्पादन को स्थगित करने का निदेश दे सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति

218— {\*\*\*}<sup>1</sup>

{219— (1) परिषद् या आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश या की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से उनके द्वारा निर्णीत किसी ऐसे मामले या ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, जिसमें कोई अपील न होती हो या अपील होती हो, किन्तु न की गई हो और यदि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय ने -

पुनरीक्षण

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, जो इस प्रकार निहित है; या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता से कार्य किया है;

तो यथास्थिति परिषद् या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी का बन्दोबस्त अधिकारी, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई आवेदन या तो परिषद् या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत किया गया है तो उसी व्यक्ति का कोई और आवेदन उनमें से किसी अन्य के द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।<sup>2</sup>

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 वर्ष 1997 की धारा 5 द्वारा निरसित।  
2. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 220-226}

220— (1) परिषद् स्वयं या अपने सदस्यों द्वारा, बन्दोबस्त से सम्बन्धित, दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है और उन्हें विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है अथवा उसकी पुष्टि कर सकती हैं

परिषद् की अपने आदेशों एवं आज्ञाप्तियों के पुनर्विलोकन तथा परिवर्तन करने की शक्ति

(2) अपने द्वारा अथवा अपने किसी सदस्य द्वारा न्यायिक रूप से पारित आज्ञाप्ति आदेश का परिषद् द्वारा इस प्रकार पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा, जब तक कि मामले का कोई पक्षकार आज्ञाप्ति या आदेश पारित किये जाने के 90 दिन के भीतर ऐसा करने के लिए आवेदन-पत्र न दे, या यदि ऐसा आवेदन-पत्र ऐसी अवधि के बाद दिया गया है तो आवेदन परिषद् को इस बात से संतुष्ट कर दे कि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन-पत्र न देने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था।

(3) सदस्य दूसरे के आदेशों का परिवर्तन करने के लिए सशक्त नहीं है— परिषद् के सभी या कुछ अधिकारों से युक्त एकल सदस्य को अपने सिवाय, परिषद् या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित आज्ञाप्ति या आदेश को परिवर्तित करने या उलटने का अधिकार नहीं होगा।

## अध्याय-11

### प्रकीर्ण

#### (क) शक्तियां

221— इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्रदान करने में, राज्य सरकार व्यक्तियों को उनके नाम से या पदधारी के वर्ग को सामान्य रूप से उनके सरकारी पदनामों से अधिकार प्रदान कर सकती है और ऐसे किसी आदेश में फेरबदल कर सकती है या उसको रद्द कर सकती है।

शक्तियों का प्रदान किया जाना

222— जब कभी राज्य सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत आगरा प्रान्त या अवध के किसी जिले में, कोई अधिकार प्रदान किये गये हैं, उक्त राज्य के किसी अन्य जिले में उसी प्रकृति के समान या उच्च पद पर स्थानान्तरित किया जाता है तो जब राज्य सरकार अन्यथा कोई निदेश न दे, यह समझा जायेगा कि जिस जिले में वह स्थानान्तरित किया गया है उस जिले में भी उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत वही अधिकार निहित है।

दूसरे जिले में स्थानान्तरित अधिकारियों की शक्ति

223— राज्य सरकार किसी भी प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को कलेक्टर के सभी या कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है और इस प्रकार प्रदत्त सभी अधिकार उस जिले के कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन प्रयोग किये जायेंगे।

सहायक कलेक्टर को कलेक्टर की शक्तियों से युक्त होना

224— राज्य सरकार किसी तहसीलदार को सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के सभी या कुछ अधिकार और किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार या सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के सभी या कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है।

तहसीलदार और नायब तहसीलदार को शक्तियों का प्रदान किया जाना

225— इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर, सहायक कलेक्टर के सभी या कुछ अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

कलेक्टर को सहायक कलेक्टर की सभी शक्तियां रखने की अधिकारिता

226— {''''''}'<sup>1</sup>

1— उ० प्र० अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951 द्वारा लोप किया गया।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 227-232}

227— किसी जिले के परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर को निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर की शक्तियां

{(1) द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टर या तहसीलदार की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना;}<sup>2</sup>

(2) खातेदार या गांव सभा को सीमा चिन्हों को बनाने या मरम्मत कराने के लिए बुलाना तथा व्यतिक्रम करने पर उसका निर्माण या मरम्मत कराना तथा उसका व्यय खातेदारों या धारा 29 के अन्तर्गत गांव सभाओं से वसूल करना;

(3) सीमा या सर्वेक्षण चिन्हों को क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माना करने और कुछ मामलों में धारा 30 के अन्तर्गत सीमा या सर्वेक्षण चिन्हों के मरम्मत के प्रभारों को विभाजित करना;

(4) धारा 33 के अन्तर्गत वार्षिक रजिस्टर में परिवर्तन या आदेश करना;

(5) {''''''}''<sup>3</sup>

(5-क) धारा 39 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों की जांच करना और निर्णय करना;

(6) {''''''}''<sup>3</sup>

(7) धारा 37 के अन्तर्गत नामांतरण का शुल्क और धारा 38 के अन्तर्गत जुर्माना उद्ग्रहण करना;

(8) धारा 40, 41 तथा 43 के अन्तर्गत विवादों का निर्णय करना और आदेश पारित करना;

(9) से (17) {''''''''}''<sup>3</sup>

(18) किसी अन्य अधिकारिता अथवा प्राधिकार, जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से सहायक कलेक्टर को सौंपा गया है, का प्रयोग करना।

228— सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, जो किसी जिले के परगने का प्रभारी नहीं है, परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को प्रदत्त सभी या कुछ शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों में कर सकता है, जिसे कलेक्टर समय-समय पर निपटारे के लिए उसके पास भेजे।

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, जो परगने का प्रभारी न हो, की शक्तियां

229— सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ऐसे मामलों की जांच करने एवं उस पर आख्या देने के लिए प्राधिकृत है, जो किसी जिले का कलेक्टर या परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर समय-समय पर जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन करने के लिए उसके पास भेजे।

सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां

230— सहायक अभिलेख अधिकारी अभिलेख अधिकारी के नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम द्वारा अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

सहायक अभिलेख अधिकारी की शक्तियां

{231— जहां किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन किया जाना है, वहां ऐसी शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन उससे वरिष्ठ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।}<sup>4</sup>

अधीनस्थ प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाना

232— {''''''}''<sup>1</sup>

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 01वर्ष 1951 द्वारा लोप किया गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 44 (क) द्वारा अन्तःस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 44 (ख) द्वारा निरसित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1977 की धारा 69 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901}

{धारा 233-234}

### (ख) सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार

233— कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित मामलों में सिविल न्यायालयों में वाद या अन्य कार्यवाही दायर नहीं करेगा :-

सिविल न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्जित मामले

(क) लेखपाल के हल्कों की व्यवस्था;

(ख) धारा 23 तथा 25 में उल्लिखित पदों या ऐसे पद के वेतन, फीस के प्रति या उससे वंचित किये जाने या ऐसे पदों पर नामजद न किये जाने के प्रति किसी व्यक्ति का दावा;

(ग) {''''}<sup>1</sup>

(घ) अधिकार अभिलेख की रचना या तैयारी, हस्तांतरण अथवा उसमें उल्लिखित किसी दस्तावेज का सत्यापन या वार्षिक रजिस्ट्रों की तैयारी;

(ङ) {''''}<sup>1</sup>

### (ग) नियम बनाने की शक्ति

{234— (1) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है; अर्थात् :—

परिषद् की नियम बनाने की शक्ति

(क) तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के कर्तव्यों को नियत करना और उनके तैनाती तथा स्थानान्तरण और अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्तियों को विनियमित करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए या रखे गए अधिकार-अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों, नक्शों, खसरो, रजिस्ट्रों तथा सूचियों के प्रपत्र, उनकी अन्तर्वस्तुएं उन्हें तैयार करने, अनुप्रमाणित करने तथा अनुरक्षित करने की रीति नियत करना तथा उस भूमि के, यदि कोई हो, प्रकार की नियत करना, जिसके सम्बन्ध में धारा 32 के अधीन ऐसा अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता न हो;

(ग) उत्तराधिकारों तथा संक्रमणों को अधिसूचित न करने पर धारा 38 के अधीन जुर्माने को आरोपण विनियमित करना;

(घ) उन खर्चों को विनियमित करना, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में या उसके सम्बन्ध में वसूल किये जा सकते हों;

(ङ) किसी ऐसे अधिकारी (या अन्य व्यक्ति) द्वारा, जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाय या जो ऐसा करने के लिए अधिकृत हो, अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में सभी व्यक्तियों के पथ-प्रदर्शन के लिए और ऐसे वाद या कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना;

(छ) राजस्व न्यायालय में याचिका-लेखकों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने, ऐसे व्यक्तियों के कार्य संचालन तथा उनके द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों के मान को विनियमित करना तथा लाइसेंस की ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन करने के लिए लाइसेंस को रद्द करना ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार या परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त नियम, जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान थे और ऐसे दिनांक को प्रवृत्त थे, तब तक प्रवृत्त बने रहें जब तक कि वे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त, संशोधित या परिवर्तित न कर दिये जायं।<sup>2</sup>

1. उ० प्र० अधिनियम सख्या 01 वर्ष 1951 द्वारा लोप किया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**THE UNITED PROVINCES LAND REVENUE ACT, 1901<sup>1</sup>**  
**[U.P. Act No. 03 of 1901]**

**An**

**Act**

to consolidate and amend the law relating to Land Revenue and the jurisdiction of Revenue officer in the united Provinces.

Whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to land revenue and the jurisdiction of Revenue Officers in Uttar Pradesh. it is hereby enacted as follows;

**CHAPTER I**

**PRELIMINARY**

- |  |    |   |
|--|----|---|
| Short title,<br>extent and<br>commencement | 1. | <p>(1) This Act may be called the United Provinces Land Revenue Act, 1901.</p> <p>(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh except the areas specified in the First Schedule:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette extend the whole or any part of this Act to all or any of the areas so excepted subject to exceptions or modifications as it thinks fit:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided also that no provision of this Act which is inconsistent with the provisions of the Pargana of Kaswar Raja Act, 1915, shall apply to the Pargana of Kaswar Raja in the district of Banaras.</p> <p>(3) It shall come into force on the first day of January, 1902.</p> |
| Repeal                                     | 2. | <p>(1) The enactments specified in the Second Schedule are repealed to the extent mentioned in the third column thereof.</p> <p>(2) When this act or any portion thereof is extended with or without exception or modification to any of areas excepted in the First Schedule, so much of any Act or Regulation in force therein as is inconsistent with this Act, or the portion thereof as extended, as the case may be, shall be thereby repealed.</p> <p>(3) The repeal of any enactment of this Act shall not legalize any practice which immediately before the passing of such enactment was illegal, and shall not revive any right, privilege, matter or thing not in force or existing at the commencement of this Act.</p>                           |
| Saving                                     | 3. | <p>(1) All rules, appointments, assessments partitions, and transfers made, notifications, proclamations, and orders issued, authorities and powers conferred, farms granted, records-of-rights and other records framed, rights acquired and liabilities incurred, rents fixed, places and times appointed, and other things done under any of the enactments hereby repealed shall, so far as may be, be deemed to have been respectively made, issued, conferred, granted, framed, acquired, incurred, fixed, appointed and done under this Ac.</p> <p>(2) Any enactment or document referring to any enactment hereby repealed, shall be construed to refer to this Act, or to the corresponding portion thereof.</p>                                       |

---

1. Published by section 40 of Indian Council Act, 1861 on dated 21 December, 1901.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 4]

Definitions

4. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context-

[(1) 'Ex-proprietary tenant', 'grant at a favourable rate of rent', 'grove', 'grove-holder', 'occupancy tenant', 'rent', 'rent-free grant', 'sir' and 'tenant' have the meanings assigned to them in the United Provinces Tenancy Act, 1939, subject to the following modifications:

(a) in the definition of 'Improvement' in sub-section (8) of Section 3 of the United Provinces Tenancy Act, 1939, the words 'with reference to a tenant's holding' shall be deemed to have been omitted;

(b) in the definition of 'rent' in sub-section (18) of Section 3, in the United Provinces Tenancy Act, 1939, the words "and in Chapter VII except when the contrary intention appears, include sayar" shall be deemed to have been omitted; and

(c) The term 'tenant' as defined in sub-section (23) of section 3 of the United Provinces Tenancy Act, 1939, shall be deemed not to include a 'thekadar'.]

(2) "Incumbrance" means a charge upon or claim against land arising out of private contract.

(3) "Lambardar" means a co-sharer of a mahal appointed under this Act to represent all or any of the co-sharers in that mahal;

(4) "Mahal" means-

(a) any local area held under a separate engagement for the payment of the land revenue:

Provided that-

(i) if such area consists of a Single village or portion of a village, a separate record-of-rights has been framed for such village or portion;

(ii) if such area consists of two or more villages or portions of villages, a separate record-of-rights has been framed either for the entire area, or for each of the villages or portions of villages included therein;

(b) any revenue-free area for which a separate record-of rights has been framed;

(c) for such purposes as the State Government may determine, any grant of land made heretofore or hereafter under the Waste Land Rules; and

(d) any other local area which the State Government may by general or special order declare to be a mahal;

(5) "Minor" means a person who, under Section 3 of the Indian Majority Act, 1875, has not attained his majority;

(6) [\*\*\*]<sup>1</sup>

---

1. Omitted by section 7 of U.P. Act No. 11 of 1941.



[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 5-6]

(7) “revenue” means land revenue;

(8) “ Revenue Court” means all or any of the following authorities (that is to say), the Board and all members thereof, Commissioners, Additional Commissioners, Collectors, Additional Collectors, Assistant Collectors, Settlement Officers, Assistant Settlement Officers, Record Officers, and Assistant Record Officers and Tahsildars;

(9) “Revenue Officers” means any officer employed under this Act in maintaining revenue records, or in the business of the land revenue;

(10) “Revenue-free”, when applied to land, means land whereof the revenue has either wholly or in part been released, compounded for, redeemed, or assigned;

(11) “Settlement” means settlement of the land revenue;

(12) [\*\*\*]<sup>1</sup>

(13) “Sayar” means receipts arising from or on account of natural products, excluding stones and other minerals; and

(14) “Taluka” or “ Taluqdari Mahal” means an estate in Oudh to which the provisions of the Oudh Estates Act 1 of 1869, apply; and

“ Taluqdar” means the proprietor of such an estate;

(15) “ Under-proprietor means in Oudh a person possessing a heritable and transferable right in land who is, or but for a judicial decision or contract would be, liable to pay rent therefore;

(16) “Sub-proprietor” in Agra means a person having an inferior but heritable and transferable proprietary interest in land, with whom a sub-settlement has been made under the provisions of this Act or of any other law for the time being in force;

(17) Any reference to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, and, in the case of the Code of Civil Procedure, 1908, as reference to that Code, subject also to any annulments, alterations and additions to the rules contained in the First Schedule thereto made from time to time under Section 122 thereof by the High Court.

## CHAPTER II

### APPOINTMENTS AND JURISDICTION

[Controlling powers of State Government and Board respectively

5. Subject to the superintendence, direction and control of the State Government, the Board shall be the chief controlling authority in the matters provided under the Act, excepting matters relating to disposal of cases, [appeals]<sup>3</sup> and revisions.]<sup>2</sup>

Appointment of members of the Board

6. The State Government shall Appoint the members of the Board.

---

1. Omitted by section 7 of U.P. Act No. 11 of 1941.  
 2. Subs. by section 33 of U.P. Act No. 30 of 1975.  
 3. Subs by section 2 of UP Act no 20 of 1997.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 7-12]

- |  |     |   |
|--|-----|---|
| Power to distributed business.   | 7.  | <p>(1) Subject to such rules or orders as the State Government may prescribe or issue, the Board may distribute its business and make such territorial division of its jurisdiction amongst its members as to the Board may seem fit.</p> <p>(2) All orders made or decrees passed by a member of the Board in accordance with such distribution or division shall be held to be the orders or decrees (as the case may be) of the Board.</p>   |
| Alteration or reversal of the judicial order.                                      | 8.  | <p>[(1) Where a proceeding coming under the consideration of the Board on [appeal]<sup>3</sup> or in revision is heard by a Division Bench composed of two or more members, the case shall be decided in accordance with the opinion of such members of the majority, if any, of such members.]<sup>1</sup></p> <p>(2) Where tire members constituting the Bench are equally divided in opinion as to the decision to be given on any point, the case shall be heard upon such point by one or more of other members and the point be decided according to the opinion of the majority of tire members who have heard tire case including those who first heard it.</p> |
| Reference to State Government in case of difference of opinion.                    | 9.  | When the members of the Board are equally divided in opinion as to any order to be made in the course of business connected with settlement the question regarding which there is such division of opinion, shall be referred for decision to the State Government.   |
| Power to authorize member to exercise power of Board.                              | 10. | Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may authorize any member of the Board to perform or exercise, either generally or in respect of any particular locality, all or any of the duties and powers imposed and conferred on the Board.  |
| Power to create, alter and abolish divisions, districts, Tahsil and sub-divisions. | 11. | <p>(1) The State Government may create new or abolish existing divisions or districts.</p> <p>(2) The State Government may alter the limits of any division, district, or Tahsil, and may create new or abolish existing Tahsil, and may divide any district into sub-divisions, and may after the limits of sub-divisions.</p> <p>(3) Subject to the orders of the State Government under sub-section (2), all Tahsils shall be deemed to be sub-divisions of districts.</p>   |
| Commissioner of divisions  | 12. | The State Government shall appoint in each division a Commissioner, who shall within his division exercise the powers and discharge the duties conferred and imposed on a Commissioner under this Act, or under any other law for the time being in force, and who shall exercise authority over all the revenue officers in his division.  |

---

1. Subs. by section 34 of U.P. Act No. 30 of 1975.

2. Sub. by section 3 of UP Act no 20 o 1997

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 13-18]

Appointment, power and duties of Additional Commissioner	13	<p>(1) The State Government may appoint Additional Commissioner in a division, or in two or more divisions combined</p> <p>(2) An Additional Commissioner shall hold his office during the pleasure of the State Government.</p> <p>(3) An Additional Commissioner shall exercise such powers and discharge such duties of a Commissioner in such cases or classes of cases as the State Government or in the absence of orders from the State Government the Commissioner concerned may direct.</p> <p>(4) This Act and every other law for the time being applicable to a Commissioner shall apply to the Additional Commissioner, when exercising any powers or discharging any duties under sub-section (3), as if he were the Commissioner of the division.</p>
Collector of the District.	14.	The State Government shall appoint in each district an officer who shall be the Collector of the district, and who shall throughout his district, exercise all the powers and discharge all the duties conferred and imposed on a Collector by this Act or any law for the time being in force.
Appointment powers and duties of Additional Collectors.	14-A	<p>(1) The State Government may appoint an Additional Collector in a district or in two or more districts combined.</p> <p>(2) An Additional Collector shall hold his office during the pleasure of the State Government.</p> <p>(3) An Additional Collector shall exercise such powers and discharge such duties of a Collector in such Case or Classes of cases as the Collector concerned may direct.</p> <p>(4) This Act and every other law for the time being applicable to a Collector shall apply to every Additional Collector, when exercising any powers or discharging any duties under sub-section (3), as if he were the Collector of the district.</p>
Assistant Collectors.	15.	<p>(1) The State Government may appoint to each district as many other persons as it thinks fit to be Assistant Collector of the first or second class.</p> <p>(2) All such Assistant Collectors and all other revenue officers in the District, shall be subordinate to the Collector.</p>
	16.	[***]
Tahsildars and Naib- Tahsildars.	17.	The State Government may appoint to each district as many persons as it may think fit to be Tahsildars and Naib-Tahsildars.
[Sub- Divisional Officers and Additional Sub-Divisional Officers.	18.	<p>(1) The State Government may place any Assistant Collector of the first class in-charge of one or more sub-divisions of a district, and may remove him therefrom.</p> <p>(2) Such Assistant Collector shall be called an Assistant Collector in-charge if a sub-division of a district or a Sub-Divisional Officer and shall exercise all the powers and discharge all the duties conferred and imposed upon him by this Act or by any other law for the time being in force, subject to the control of the Collector.</p>

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 19-24]

(3) The State Government may designate any Assistant Collector of the first class appointed to a district to be Additional Sub-Divisional Officers in one or more-sub-divisions of the district.

(4) The Additional Sub-Divisional Officer shall exercise such powers and perform such duties of an Assistant Collector incharge of a sub-division of a district in such cases or classes of cases as the State Government may direct.

(5) The provisions of this Act and of every other law for the time being applicable to a Sub- Divisional Officer shall apply to every Additional Sub-Divisional officer when exercising any powers of the discharging any duties under sub-section (4) as if he were a Sub-Divisional Officers.

(6) The State Government may delegate its powers under this section to the Collector of the district any may revoke such delegation.

- |  |     |  |
|--|-----|--|
| Subordination of Revenue Officers.                     | 19. | Every Revenue Officer of a sub-division of a district shall be subordinate to the Assistant Collector (if any) in-charge of such sub-division, subject to the general control of the Collector.  |
| Collector of the district in case of temporary vacancy | 20. | If the Collector dies or is disabled from performing his duties, the officer who succeeds temporarily to the chief executive administration of the district in revenue matters shall be held to be the Collector under this Act until the State Government appoints a successor to the Collector so dying or disabled, and such successor takes charge of his appointment. |

**CHAPTER III**  
**MAINTENANCE OF MAPS AND RECORDS**  
**(A) KANUNGOS AND LEKHPALS**

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| Power to form and alter Lekhpals' halkas. | 21. | <p>(1) The Collector may arrange the villages of the district in lekhpals' halkas and may, from time to time, alter the limits of such halkas without effecting any change in the strength of lekhpals.</p> <p>(2) If the change or alteration referred to in sub-section (1) is likely to effect any change in the strength of lekhpals, previous sanction of the State Government shall be obtained for the purpose.</p> <p>But no such arrangement to alteration shall be final unless and until it has been sanctioned by the State Government.</p> |
|   | 22. | [Omitted] <sup>1</sup>  |
| Appointment of Lekhpals.                  | 23. | The State Government shall appoint a Lekhpal to each halka for the preparation of records sp0ecified by or under the Act and for the purpose of such other duties as may be prescribed.   |
|   | 24. | [omitted] <sup>1</sup>  |

---

1-Omitted by law order 1937.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 25-30]

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| Appointment<br>of Kanungos  | 25  | One or more Kanungos may be appointed in each district for the proper supervision, maintenance, and correction of the annual registers, and for such other duties as the State Government may, from time to time, prescribe.  |
|   | 26. | [Omitted] <sup>1</sup>  |
| Kanungos and<br>Lekhpals to be<br>public<br>servants, and<br>their records<br>public records. | 27. | Every Kanungo and Lekhpal and every person appointed temporarily to discharge the duties of any such officer shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code and all official records and documents kept by any other officer shall be held to be public records and the property of the State Government. |

**(B) Maps**

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| Maintenance<br>of map and<br>field-book.              | 28. | The Collector shall in accordance with rules made under Section 234, maintain a map and field-book of each village in his district and shall cause annually, or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field-book.   |
| obligations of<br>owners as to<br>boundary<br>marks.  | 29. | <p>(1) It shall be the duty of every tenure-holder to maintain and keep in repair at his cost the permanent boundary marks lawfully erected on his fields.</p> <p>(2) It shall be the duty of the Gaon Sabha to maintain and keep in repair at its cost the permanent boundary marks lawfully erected on the village situate within its jurisdiction.</p> <p>(3) The Collector may at any time order, as the case may be, a Gaon Sabha or tenure-holder-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) to erect proper boundary marks on such villages or fields;</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) to repair or renew in such form and nature as may be prescribed all boundary marks lawfully erected therein).</p> |
| Penalty for<br>injury to, or<br>removal of,<br>marks. | 30. | The Collector may order any person convicted before him of willfully erasing, removing or damaging a boundary, or survey mark to pay such sum, not exceeding fifty rupees for each mark so erased, removed, or damaged, as may be necessary to restore it, and to reward the informer through whom the conviction was obtained. when such sum cannot be recovered, or if the offender cannot be discovered, the collector shall restore the mark and recover the cost thereof from such of tenure-holder or Gaon Sabhas of co-terminous fields of villages as the case may be as he thinks fit.   |

---

1-Omitted by Law order 1950.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 31-33]

**(C) Register**

- List of villages. -
31. The Collector shall prepare and maintain in the prescribed form a list of all villages and will show therein in the prescribed manner, the areas -
- (a) liable to fluvial action,
  - (b) having precarious cultivation, and
  - (c) the revenue whereof has either, wholly or in part been released, compounded, redeemed or assigned.
- Such registers shall be revised every five years in accordance with the rules framed in that behalf.
- Record- of- rights.
32. There shall be a record-of-rights for each village subject to such exceptions as may be prescribed by rules made under the provisions of Section 234. The record-of-rights shall consist of a register of all persons cultivating or otherwise occupying land specifying the particulars required by Section 55.
- The annual registers.
33. (1) The Collector shall maintain the record-of-rights, and for that purpose shall annually, or at such longer intervals as the State Government may prescribe, cause to be prepared an amended register mentioned in Section 32.
- The Register so prepared shall be called the annual register.
- [(2) The Collector shall cause to be recorded in the annual register-
- (a) all successions and transfers in accordance with the provisions of Section 35; or
  - (b) other changes that may take place in respect of any land;
- and shall also correct all errors and omissions in accordance with the provisions of Section 39;
- Provided that the power to record a change under clause (b) shall not be construed to include the power to decide a dispute involving any question of title.]<sup>1</sup>
- (3) No such change or transaction shall be recorded without the order of the Collector or as hereinafter provided, of the Tahsildar or the Kanungo.
- (4) [The collector shall cause to be prepared and supplied to every person recorded as Bhumidhar, whether with or without transferable rights, Asami or Government Lessee a Kisan Bahi (Passbook) which shall contain-
- (a) such extract from the annual register prepared under subsection (1) relating to all holdings of which he is so recorded (either solely or jointly with others);
  - (b) details of grants sanctioned to him; and
  - (c) such other particulars as may be prescribed:
- Provided that in the case of joint holdings it shall be sufficient for the purpose of this sub-section of Kisan Bahi (pass book) is supplied to such one or more of the recorded co-sharers as may be prescribed.<sup>1</sup>

---

1- Subs. by section 35 of U.P. Act No. 30 of 1975.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 33A-34]

<sup>3</sup>(4-A) The Kisan Bahi (Pass book) referred to in sub-section (4) shall be prepared in such manner and on payment of such fee, which shall be realizable as arrears of land revenue, as may be prescribed.

(5) Every such person shall be entitled, without payment of any extra fee, to get any amendment made in the annual register under sub-section (2) incorporated in his Kisan Bahi (Pass book). ]<sup>3</sup>

(6) The State Government may make rules to carry out the purposes of this section, including, in particular, rules, prescribing the mode of reception in evidence, and of proof in judicial proceedings, of entries in the [ kisan Bahi (Pass Book)]<sup>4</sup>, and the mode of its revision and authentication up-to-date and for issue of duplicate copies thereof, and the fees, if any, to be charged for any of the said purposes.

(7) In this section, 'prescribed' means Prescribed by rules made by the state Government.

Nothing in sub-section (4) to (7) shall apply in relation to any area which is either under consolidation operation or under record operations.]

[Correction of annual registers in cases of uncontested successions.

33-A

(1) where a person obtains possession of any land by succession, the Kanugno shall' make such enquiry as may be prescribed and if the case is not disputed record the same in the annual registers.

[(2) The Provisions of sub-section (1) shall mutatis mutandis apply-

(i) to a person, who has been admitted as a sirdar of any land under Section 195 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977 or as a bhumidhar with non-transferable rights under the said section after such commencement, or as an asami of any land under Section 197 of the first mentioned Act,

(ii) to every settlement of land made under sub-section (3) of Section 27 of the Uttar Pradesh Imposition of ceiling on Land Holdings Act, 1960.]<sup>5</sup>

Report of succession or transfer of possession.

34.

[(1) Every person obtaining possession of any land by succession or transfer (other than a succession or transfer which has already been recorded under section 33-A), shall report such succession or transfer to the Tahsildar of the Tahsil in which the land is situate.]<sup>1</sup>

(2) [Omitted.]<sup>2</sup>

- 
- 1- Subs section 37(a) of UP Act no 30 of 1975.
  - 2- Omitted by 37(b) of Above Act no.
  - 3- Subs, section 2(a) UP Act no 23 of 1992.
  - 4- Subs section 2(b) of above act no.
  - 5- Sub. by section 2 of UP Act no. 23 of 1986.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 35-39]

(3) [\*\*\*]<sup>1</sup>

(4) If the person so succeeding, or otherwise obtaining possession, is a minor or otherwise disqualified, the guardian or other person who has charge of this property shall make the report required by this section.

(5) No Revenue Court shall entertain a suit or application by the person so succeeding or otherwise obtaining possession until such person has made the report required by this section.

[Explanation. – For the purposes of this section, the word ‘transfer’ includes-

(i) a family settlement by which the holding or part of the holding recorded in the record-of-rights in the name of one or more members of that family is declared to belong to another or other members; or

(ii) an exchange of holding or part thereof under Section 161 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.]

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| [Procedure on report.                           | 35. | On receiving a report of succession or transfer under Section 34, or upon facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary, and if the succession or transfer appears to have taken place, he shall direct the annual registers to be amended accordingly.] <sup>2</sup>   |
|   | 36. | [***] <sup>1</sup>  |
| Power to prescribe fees for mutation.           | 37. | (1) The State Government may prescribe proper fees for mutation in the registers:   |
| Fine for neglect to report.                     | 38. | Any person neglecting to make the report required by Section 34 within three months from the date of obtaining possession under a lease, or from the date of the succession or other transfer, shall be liable to a fine not exceeding five times the amount of the fee which would otherwise have been payable under Section 37, or when no fee is leviable, then not exceeding such amount as the State Government may by rule prescribe.   |
| [Correction of mistakes in the annual register. | 39. | (1) An application for correction of any error or omission in the annual register shall be made to the Tahsildar.<br><br>(2) On receiving an application under sub-section (1) or any error or omission in the annual register coming to his knowledge otherwise, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and then refer the case to the Collector, who shall dispose it of, after deciding the dispute in accordance with the provisions of Section 40.] <sup>2</sup> |

---

1-Onit by UP Act no 1 of 1951.

2- Subs 37(c) of UP Act no 30 of 1975.



[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 40-42]

[Provided that nothing in this sub-section shall be construed to empower the Collector to decide a dispute involving any question of title.]<sup>2</sup>

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall prevail, notwithstanding anything contained in the U.P. Panchayat Raj Act, 1947

Settlement of disputes as to entries in annual register.

40. (1) All disputes regarding entries in the annual registers shall be decided on the basis of possession.

(2) If in the course of inquiry into a dispute under this section the Collector or the Tahsildar is unable to satisfy himself as to which party is in possession, he shall ascertain by summary inquiry who is the person best entitled to the property and shall put such person in possession

(3) [Deleted]<sup>1</sup>

[Saving as to title suits.

40-A No order passed under Section 33, Section 35, Section 39, Section 40, Section 41 or Section 54 shall bar any suit in a competent Court for relief on the basis of a right in a holding.

Settlement of boundary disputes.

41. (1) All disputes regarding boundaries shall be decided as far as possible on the basis of existing survey maps, but if this is not possible, the boundaries shall be fixed on the basis of actual possession.

(2) if, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Collector is unable to satisfy himself as to which party is in possession, or if it shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants of the property within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Collector-

(b) in the first case shall ascertain by summary inquiry who is the person best entitled to the property, and shall put such person in possession;

(c) in the second case, shall put the person so dispossessed in possession ; and shall then fix the boundary accordingly.

41-A [Omitted]<sup>1</sup>

42. [Omitted]<sup>1</sup>

---

1- omitted by UP Act no 1 of 1951.

2- Subs. 39 of UP Act no 30 of 1975.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
50]

[Section 43-

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| Procedure when rent payable is disputed.                                    | 43. | In case of any dispute regarding the revenue or rent payable by any tenure-holder, the Collector shall not decide this dispute, but shall record as payable for the year to which the annual register refers the revenue or rent payable for the previous year, unless it has been enhanced or abated by an order or agreement under this Act, or the United Provinces Tenancy Act, 1939, or the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1951. |
| Presumption as to entries in the annual register.                           | 44. | All entries in the annual register shall, until contrary is proved, be presumed to be true.  |
|   | 45. | [Omitted] <sup>1</sup>   |
| Obligation to furnish information necessary for the preparation of records. | 46. | Any person whose rights, interests or liabilities are required by any enactment for the time being in force or by any rule made under any such enactment, to be entered in any official register by a Kanungo or Lekhpal shall be bound to furnish, on the requisition of the Kanungo or Lekhpal or of any revenue officer engaged in compiling the register, all information necessary for the correct compilation thereof.                                   |
| Inspection of recodes.  | 47. | All maps, field-book and registers kept under this Act shall be open to public inspection at such hours and on such conditions as to fees or otherwise as the State Government may prescribe.  |

#### Chapter –IV

#### Revision of Maps and Records

- |  |     |  |
|--|-----|--|
| Notification of record operations.                                       | 48. | If the State Government thinks that, in any district or other local area a general or partial revision of the records or a re-survey, or both, should be made, it shall publish a notification to that effect.<br><br>Effect to notification- And every such local area shall be held to be under record or survey operations, or both, as the case may be, from the date of the notification until the issue of another notification declaring the operations to be closed therein.                                     |
| Record officers.   | 49. | The State Government may appoint an officer, hereinafter called the Record Officer, to be incharge of the record operations or the survey, or both, as the case may be, in any local area and as many Assistant Record Officers, as to it may seem fit, and such officers shall exercise all the powers conferred on them by this Act so long as such local area is under record or survey operations, as the case may be.   |
| <sup>2</sup> [Powers of Record Officer as to erection of boundary marks. | 50. | When any local area is under survey operations the Record Officer may issue a proclamation directing all Gaon Sabha and bhumidhars to erect, within fifteen days such boundary marks, as he may think necessary to define the limits of the villages and fields and in default of their compliance within the time specified in the proclamation, he may cause such boundary marks to be erected, and the Collector shall recover the cost of their erection from the Gaon Sabhas of Bhumidhars concerned.] <sup>2</sup> |

-----  
1- omitted UP Act no 01 of 1951.

2- Subs section 68 of UP Act no 08 of 1977.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 51-54]

- |  |     |  |
|--|-----|--|
| Decision of disputes.  | 51. | In case of any dispute concerning any boundaries, the Record officer shall decide such dispute in the manner prescribed in Section 41.   |
| Records to be prepared in re-survey.   | 52. | When any local area is under survey operations the Record Officer shall prepare for each village therein a map and field-book, which shall thereafter be maintained by the Collector as provided by Section 28, instead of the map and field-book previously existing.   |
| Preparation of new record of rights.   | 53. | Where any local area is under record operation, the Record Officer shall frame for each village therein the record specified in Section 32 and the record so framed shall thereafter be maintained by the Collector, instead of the record previously maintained under Section 33.   |
| Undisputed entries and disposal of disputes regarding entries by Record Officer. | 54. | <p>(1) for revising the map and records under this Chapter, the Record officer shall, subject to the provisions hereinafter contained, cause to be carried out survey, map correction, field to field partial and test and verification of current annual register in accordance with the procedure prescribed.</p> <p>(2) After the test and verification of the current annual register in accordance with sub-section (1), the Naib-Tahsildar shall correct clerical mistakes and errors, if any, in such register, and shall cause to be issued to the concerned tenure-holder and other persons interested, notices containing relevant extracts from the current annual register and such other records as may be prescribed, showing their rights and liabilities in relation to land and mistakes and disputes discovered during the operations mentioned in the said sub-section.</p> <p>(3) Any person to whom notice under sub-section (2) has been issued may, within twenty-one days of the receipt of notice, file before the Naib-Tahsildar objection in respect thereof disputing the correctness or nature of the entries in such records or extracts.</p> <p>(4) Any person interested in the land may also file objection before the Naib-Tahsildar at any time before the dispute is settled in accordance with sub-section (5), or before the Assistant Record Officer, at any time before the objections are decided in accordance with sub-section (6).</p> <p>(5) The Naib-Tahsildar shall—</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) where objections are filed in accordance with sub-section (3) or sub-section (4) after hearing the parties concerned; and</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) in any other case after making such inquiry as he may deem necessary;</p> <p style="padding-left: 20px;">Correct the mistake, and settle the dispute, by conciliation between the parties appearing before him, and pass orders on the basis of such conciliation.</p> <p>(6) The record of all cases which cannot be disposed of by the Naib-Tahsildar by conciliation as required by sub-section (5), shall be forwarded to the Assistant Records Officer who shall dispose of the same, in accordance with the provisions of Sections 40, 41 or 43, as the case may be, and where the dispute involves a question of title, he shall decide the same after a summary inquiry.</p> |

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]

[Section 55-57]

(7) Where after the summary inquiry under sub-section (6), the Assistant Record Officer is satisfied that the land in dispute belongs to the State Government or a local authority, he shall cause the person in unauthorized occupation of such land to be evicted and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(8) Every order of the Assistant Record Officer-

(a) made under sub-section (6) shall, subject to the provisions of Sections 210 and 219, be final;

(b) made under sub-section (7) shall subject to the result of any suit which the aggrieved person may file in any Court of competent jurisdiction, be final].<sup>1</sup>

Particulars to be stated in the list of cultivators.

55. The register of persons cultivating or otherwise occupying land specified in section 32 shall specify as to each tenure-holder the following particulars:

(a) the class of tenure as determined by the Uttar Pradesh Zamindari and Land Reforms Act, 1951,

(b) The revenue or rent payable by the tenure-holder, and

(c) and other conditions of tenure which the [State Government] may by rules made under Section 234 require to be recorded.

Explanation.- For the purposes of this section the year for which the register is prepared shall be reckoned as a complete year.

56. [\*\*\*]<sup>2</sup>

Presumption as to entries.

57. All entries in the record-of-rights prepared in accordance with the provisions of this Chapter shall be presumed to be true until the contrary is prove; and all decisions under this Chapter in cases of dispute shall, subject to the provisions of sub-section (3) of Section 40, be binding on all Revenue Courts in respect of the Subject-matter of such disputes; but no such entry or decision shall affect the right of any person to claim and establish in the Civil Court any interest in land which requires to be recorded in the registers prescribed by Section 32.

## CHAPTER 5- to CHAPTER 8

[X X X]<sup>3</sup>

---

1- Subs by section 11 of UP Act no 6 of 1978.  
 2- omitted of section 1 of UP Act no 1951.  
 3- omitted section 58 to 188 by UP Act 1 of 1951.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
193]

[Section 189-

**CHAPTER IX**  
**PROCEDURE OF REVENUE COURTS AND REVENUE OFFICERS**

Place for holding Court.	189.	<p>A Commissioner may hold his Court at any place within his division. An Additional Commissioner may hold his Court at any place within the division to which he is appointed.</p> <p>A Collector, Additional Collector an Assistant Collector (whether in charge or not of a sub-division of a district), a Record Officer, an Assistant Record Officer, a Settlement Officer or an Assistant Settlement Officer, may hold his Court at any place within the district to which he is appointed</p> <p>A Tahsildar may hold his court at any place within his tahsil.</p>
Power to enter upon and survey land.	190.	<p>The Collector Settlement Officer, Record Officer, and their assistants; subordinates servants, agents and workmen may enter upon the survey land, and demarcate boundaries and do all acts necessary for any purpose connected with their duties, under this or any other Act.</p>
Power of Board or Commissioner to transfer cases.	191.	<p>{The Board or a Commissioner may transfer any case or proceeding arising under the provisions of this Act, including a partition case, from any subordinate Revenue Court or Revenue Officer to any other Court or officer competent to deal therewith.}<sup>1</sup></p>
Power to transfer cases to and from subordinates.	192.	<p>The Collector, an Assistant Collector in charge of a sub-division of district, a Tahsildar, a Record Officer, or a Settlement Officer may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Act or otherwise, for inquiry or decision, from his own file to any of his subordinates competent to deal with such case or class of cases;</p> <p>or may withdraw any case or class of cases from any Revenue Officer subordinate to him and may deal with such case or class of cases himself or refer the same for disposal to any other such Revenue Officer competent to deal therewith.</p>
Consolidation of cases.	192.A	<p>Where more cases than one involving substantially the same question for determination and based on the same cause of action are pending in one or more court they shall, on application being made by any party to the Court to which the Court or Courts concerned are all subordinate, be consolidated in one court and decided by a single judgment. Such cases may be filed direct in the superior Court.</p>
Power to summon persons to give evidence and produce documents.	193.	<p>Any Revenue Court may summon any person whose attendance it considers necessary for the purpose of any investigation, suit or other business before it.</p>

---

1-Subs. by section 40 of UP Act no 30 of 1975.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
199]

[Section 194-

All persons so summoned shall be bound to attend, either in person or by an authorized agent, as such Court may direct, and to state the truth upon any subject respecting which they are examined or make statements. And to produce such documents and other things as may be required:

Provided that persons exempt from personal attendance in the Civil Court under Section 132 and 133 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) Shall subject to the provisions of those sections, be exempt from personal attendance under this section.

Procedure in case of non-compliance with summons.	194.	If any person, on whom a summons to give evidence or produce a document has been served, fails to comply with the summons, the officer by whom the summons has been issued may exercise the powers conferred on Civil Courts by Order XVI, Rules 10 to 13, 17 and 18 of the Code of Civil Procedure, 1908.
Summons to be writing, signed and sealed.	195.	Every summons shall be in writing on duplicate, and shall be signed and sealed by the officer issuing it, or by such person as he empowers in this behalf.  Mode of serving summons- Service in district other than that of issue-And shall be served by tendering or delivering a copy of it to the person summoned, or, if he cannot be found, by affixing a copy of it to some conspicuous part of the usual residence and if such person resides in another district, the summons may be sent by post to the Collector of that district for service.
Mode of serving notice.	196.	Every notice under this Act may be served either by tendering, delivering or sending a copy thereof by post, in a cover registered under the Indian Post Offices Act, 1898, to the person on whom it is to be served; or if such person is a proprietor of land, to his agent; or by affixing a copy thereof at some place of public resort on or adjacent to the land to which such notice refers.
Mode of issuing proclamations.	197.	Whenever a proclamation is issued under this Act copies thereof shall be posted in the Court-house of the officer issuing it, at the headquarters of the Tahsil within which the land to which it refers is situated, and at some place of public resort on or adjacent to the land to which it refers; and if the officer issuing it so directs, the proclamation shall be further published by beat of drum on or near the land to which it refers.
Notice and proclamation not void for error.	198.	No notice or proclamation shall be deemed void on account of any error in the name or designation of any person or in the description of any land referred to therein, unless such error has produced substantial injustice.
Procedure for	199.	If in any proceeding of a judicial nature pending before any Revenue Court,

procuring attendance of witnesses.

either party desires the attendance of witnesses, he shall follow the procedure prescribed by the Order XVI, Rules 2 to 4 of the Code of Civil Procedure, 1908.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
206]

[Section 200-

Hearing in absence of party.	200.	Whenever any party to such proceeding neglects to attend on the day specified in the summons or on any day to which the case may have been postponed, the Court may dismiss the case for default or may hear and determine it <i>ex parte</i> .
No appeal from orders passed <i>ex parte</i> or by default.	201.	No appeal shall lie from an order passed under Section 200 <i>ex parte</i> or by default.  <b>Re-hearing on proof of good cause for non-appearance.-</b> But in all such cases, if the party against whom judgment has been given appears either in person or by agent (if a plaintiff, within fifteen days from the date of such order, and if a defendant, within fifteen days after such order has been communicated to him, or after any process for enforcing the judgment has been executed or at any earlier period), and shows good cause for his non-appearance, and satisfies the officer making the order that there has been a failure of justice, such officer may, upon such terms as to costs or otherwise as he thinks proper, revive the case and alter or rescind the order according to the justice of the case: <b>Order not to be altered without summons to adverse party.-</b> Provided that no such order shall be reversed or altered without previously summoning the party in whose favour judgment has been given to appear and be heard in support of it.
Correction of error or Omission.	202.	Any Court of officer by whom an order has been passed in any proceeding under this Act may, within ninety days of such order, either of his own motion or on the application of a party, correct any error or omission, not affecting a material part of the case, after such notice to the parties as may be necessary.
Power to refer disputes to arbitration.	203.	The Board, a Commissioner, an Additional Commissioner, a Collector, Additional Collector, an Assistant Collector of the first class, a Record Officer or an Assistant Record Officer, a Settlement Officer or an Assistant Settlement Officer, may, with the consent of the parties, by order refer any dispute before it, or him, to arbitration.
Procedure in cases referred to arbitration.	204.	In all cases of reference to arbitration under Section 203, the provisions of the Arbitration Act, 1940, shall apply so far as they are not inconsistent with anything this Act.
Application to set aside award.	205.	Any application to set aside an award shall be made within ten days after the day appointed for hearing the award.
Decision	206.	If the officer making the reference does not see cause to remit the award or

according to award.

any of the reference does not see cause to remit the award or any of the matters referred to arbitration for reconsideration, and if no application has been made to set aside the award, or if he has refused such application, he shall decide in accordance with the award, or if the award has been submitted to him in the form of a special case, according to his own opinion in such case.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
213]

[Section 207-

Bar to appeal and suit in Civil Court.

207.

Such decision shall be at once carried out, and shall not be open to appeal unless the decision is in excess of, or not in accordance with, the award or unless the decision is impugned on the ground that there is no valid award in law, or in fact; and no person shall institute any suit in the Civil Court for the purpose of setting it aside or against the arbitrators on account of their award.

Recovery of fines and costs.

208.

All fees, fines, costs, other than costs between party and party, and other moneys ordered to be paid under this Act shall be recoverable as if they were an arrear of revenue.

A Revenue Court shall have power, subject to any special provisions in this Act, to give and apportion costs due under this Act in any proceedings before it in such manner as it thinks fit:

Provided that when land is sold under this section for moneys not payable to the Government, the provisions of Section 161 shall not apply to such sale.

Delivery of possession of immovable property.

209.

When an order is made that a person be put in possession of any immovable property, the officer making the order may deliver over possession in the same manner, and with the same powers in regard to all contempts, resistance and the like, as may be lawfully exercised by the Civil Courts, in execution of their own decrees.

### **Chapter X** **[Appeal and Revision]<sup>3</sup>**

Courts to which appeals lie.

210.

(1) Appeal shall lie under this Act as follows:

- (a) To the Record officer from orders passed by any Assistant Record Officer;
- (b) (i) to the Commissioner from orders passed by a Collector or an Assistant Collector first class or Assistant Collector in charge of sub-division.  
(ii) to the Collector from orders passed by an Assistant Collector second class or Tahsildar.
- (c) <sup>2</sup>[Deleted
- (2) [Deleted
- (3) [Deleted
- (4) [Deleted
- (5) [Deleted]<sup>2</sup>
- (6) No appeal shall lie against an order passed under Section 28, 33, 39, or 40].

First appeal.

211.

Unless an order is expressly made final by this Act, an appeal shall lie to the Court authorized under Section 210 to hear the same from every original order passed in any proceedings held under the provisions of this Act.



212. [\*\*\*]<sup>2</sup>

213. [\*\*\*]<sup>1</sup>

-----  
1-omitted by UP Act no 20 of 1954.

2-omitted by UP Act no 1 of 1951.

3-Subs by section 4 of UP Act no 20 of 1997.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
219]

[Section 214-

Terms of appeal registered	214.	No appeal shall be brought after the expiration of 30 days from the date of the order complained of, unless otherwise expressly provided in this Act.
Appeal against order admitting an appeal	215.	No appeal shall lie against an order admitting an appeal on the grounds specified in Section 5 of the Indian Limitation Act, 1908.
Powers of Appellate Court.	216	(1) The Appellate Court may either admit or summarily reject the appeal.  (2) If it admits the appeal, it may reverse, vary or confirm the order appealed against;
Power to suspend execution of order of lower Court.	217.	when an appeal is admitted the Appellate Court may, pending the result of appeal, direct the execution of the order of the lower Court to be stayed.
	218.	[Omitted] <sup>1</sup>
<sup>2</sup> [Revision.	219.	(1) The Board or the Commissioner or Additional Commissioner or the Collector or the Record Officer, or the Settlement Officer, may call for the record of any case decided or proceeding held by any Revenue Court subordinate to him in which no appeal lies or where an appeal lies but has not been preferred, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed or proceeding held and if such subordinate Revenue Court appears to have-  (a) exercised a jurisdiction not vested in it by law, or (b) failed to exercise a jurisdiction so vested, or (c) acted in the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity,

The Board or the Commissioner or the Additional Commissioner or the Collector or the Record Officer, or the Settlement Officer, as the case may be, pass such order in the case as he thinks fit.

(2) If an application under this section has been moved by any person either to the Board, or to the Commissioner, or to the Additional Commissioner, or the Collector or to the Record Officer or to the Settlement Officer, no further application by the same person shall be entertained by any other of them.]<sup>2</sup>

-----  
1- omitted by section 5 of UP Act no 20 of 1997.

2- Subs. by section 6 of above Act no.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
226]

[Section 220-

- |   |      |  |
|---|------|--|
| Power of Board to review and alter its order and decrees. | 220. | <p>(1) The Board may review, and may rescind, alter or confirm any order made by itself or by any of its members in the course of business connected with settlement.</p> <p>(2) No decree or order passed judicially by it or by any of its members shall be so reviewed except on the application of a party to the case made within a period of ninety days from the passing of the decree or order, or made after such period if the applicant satisfies the Board that he had sufficient cause for not making the application within such period.</p> <p>(3) Members not empowered to alter each other's orders.- A single member vested with all or any of the powers of the Board shall not have power to alter or reverse a decree or order passed by the Board or by any member other than himself.</p> |
|---|------|--|

**CHAPTER XI**  
**MISCELLANEOUS**  
**(A) POWERS**

- |   |      |   |
|---|------|---|
| Conferring of powers.                                       | 221. | In conferring powers under this Act, the State Government may empower persons by name, or classes of officials generally, by their official titles, and may vary or cancel any such order.  |
| Powers of offices transferred to another district.          | 222. | Whenever any person holding an office in the service of the Government who has been invested with any powers under this Act in any district in the Agra Province or Oudh, is transferred to an equal or higher office of the same nature in any other district in he shall unless the State Government otherwise directs, be held to which he is transferred. |
| Investment of Assistant Collector with powers of Collector. | 223. | The State Government may confer on any Assistant Collector of the first class all or any of the powers of a Collector, and all powers so conferred shall be exercised subject to the control of the Collector of the district.  |
| Conferring of powers on Tahsildars and naibTahsildars.      | 224. | The State Government may confer on any Tahsildar all or any of the powers of an Assistant Collector of the first or second class and on any Naib-Tahsildar all or any of the powers of a Tahsildar or of an Assistant Collector of the second class.  |

Collector to have all powers of an Assistant Collector. 225. The Collector may exercise all or any of the powers of an Assistant Collector under this or any other Act for the time being in force.

226. [\*\*\*]<sup>1</sup>

-----  
1-Omitted by UP Act no 1 of 1951.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
232]

[Section 227-

Powers of an Assistant Collector in charge of subdivision. 227. An Assistant Collector in charge of a sub-division of a district shall, as such have the following powers:

[(1) to exercise all or any of the powers of an Assistant Collector of the Second Class or a Tahsildar;]<sup>2</sup>

(2) To call on owners to erect or repair boundary marks, and in default, to erect or repair and charge the cost to tenure-holders or Gaon Sabhas under Section 29;

(3) to fine for injuries to boundary or survey marks, and in certain cases apportion the charges of repairing boundary or survey marks under Section 30;

(4) to order alterations in the annual registers, under Section 33;

[(5)] [Omitted]<sup>3</sup>

[(5a) to enquire into and decide applications made under Section 39.

[(6)] [Deleted]<sup>3</sup>

(7) To levy fees for mutation under Section 37, and fines, under Section 38.

(8) To decide disputes and to pass orders, under Sections 40, 41 and 43;

[(9) to (17)] [Deleted]<sup>3</sup>

(18) to exercise any other jurisdiction or authority which by this Act is expressly conferred on Assistant Collectors.

Powers of an Assistant Collector of first class not in charge of a sub-division. 228. An Assistant Collector of the first class not in charge of a sub-division of a district shall exercise all or any of the powers conferred on an Assistant Collector of the first class in charge of a sub-division in such cases or class of cases as the Collector may, from time to time, refer to him for disposal.

Powers of Assistant Collectors of second class. 229. Assistant Collectors of the second class shall have power to investigate and report on such cases as the Collector or Assistant Collector in-charge of a sub-division of a district may, from time to time commit to them for

		investigation and report.
Powers of Assistant Record Officers.	230.	An Assistant Record Officer may, subject to the control of the Record Officer, exercise all or any of the powers conferred by this Act on Record Officers.
Powers of subordinate authority to be exercised by superior authority.	[231.	Where any powers are to be exercised or duties to be performed by any officer or authority under this Act, such powers or duties may also be exercised or performed by an officer or authority superior to him or it.] <sup>4</sup>
	232.	[Omitted] <sup>1</sup>

- 
- 1- Omitted by UP Act no 01 of 1951.
  - 2- Inserted by section 44(a) of UP Act no 30 of 1975.
  - 3- omitted by section 44(b) above Act no.
  - 4- Sub section 69 of UP Act no 8 of 1977.

[The Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901]  
234]

[Section 233-

#### (B) Jurisdiction of civil courts

Matters excepted from cognizance of Civil Courts.	233	No person shall institute any suit or other proceeding in the Civil Court with respect to any of the following matters: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) The arrangement of Lekpals Halkas</li> <li>(b) Claims by any person to any of the offices mentioned in Section 23 and 25, or to any emolument or fees appertaining such office, or in respect of any injury caused by his exclusion therefrom, or claims by any person to nominate person to such offices;</li> <li>[(c) [***]]<sup>1</sup></li> <li>(d) the formation of the record-or-rights or the preparation, signing, or attestation of any of the documents contained therein, or the preparation of the annual registers; [(e) to (m).[***]]<sup>1</sup></li> </ol>
---	-----	--

#### (c) Power to make rules

Power of Board to make rules.	234.	[(1) The Board may, with the previous sanction of the State Government, make rules consistent with this Act in respect of all or any of the following matters, namely: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Prescribing the duties of Tahsildars and Naib-Tahsildars and regulating their postings and transfers and their appointment in temporary vacancies;</li> <li>(b) Prescribing the forms, methods of preparation, attestation and maintenance of the record-of-rights and other records, maps, field books registers, and lists made or kept under this Act and prescribing the kind of land, if any, in respect of which any such record need not be prepared under Section 32;</li> <li>(c) Regulating the imposition of lines, under Section 38 for failure to notify successions and transfers.</li> <li>(d) Regulating the costs which may be recovered in or in respect of any proceeding under this Act;</li> <li>(e) Regulating the procedure to be followed by any officer (or other person), who under any provision of this Act is required or empowered to take action in any</li> </ol>
-------------------------------	------	---

- case or proceeding under this Act;
- (f) Generally for the guidance of all persons in a case or proceeding under this Act, and for carrying out the provisions of this Act in respect of such case or proceeding;
  - (g) Regulating the issue of licences to persons to act as petition writers in the Revenue Courts, the conduct of business by such persons and the scale of fees to be charged by them, and the cancellation of such licences for breach of the terms and conditions thereof.
- (2) Notwithstanding anything in sub-section (1), all rules made by the State Government or the Board under this section as it stood immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1975, and in force on such date shall continue in force until repealed, amended or altered by the competent authority.]<sup>2</sup>

-----  
1-omitted by UP Act no 01 of 1951.

2-Sub by section 45 of UP Act no 30 of 1975.